वर्ष 3 अंक 2 फरवरी 1981 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

शांति के लिए और जंगबाजों के खिलाफ संघर्ष करो

"युद्ध व शांति का मुद्दा हर व्यक्ति के लिए महत्त्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यदि हम उन्हें इसके महत्व का अहसास कराने में नाकामयाब रहते हैं तो यह सब के लिए विनाशकारी हो सकता है......दुनिया में जनसंहार के हथियारों का जितना कुल भंडार है वह दुनिया के हर पुरुष, हर महिला और हर बच्चे को दस बार मारने के लिए काफी है......" ये शब्द हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कुर्त वाल्डहाइम के जो उन्होंने जून 1980 में 'हथियारों की होड़ व मानव जाति' नाम के मुद्दे पर बुलाए गए एक संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में कहे.

एकाधिकारी पूंजीवाद व साम्राज्यवाद का इतिहास व पिछली छः दशाब्दियों से भी ज्यादा समय में इसका विकास हिंसा, युद्ध व खूनखराबे की अनगिनत घटनाओं से भरा है जिसकी पूरे मानव इतिहास में इतने बड़े स्तर पर और निर्मम मिसाल कहीं नहीं मिलती, केवल पच्चीस वर्षों में ही दुनिया के पूंजीपति वर्ग ने मानवता को दो विश्व युद्धों में फंसाया जिसमें चार करोड़ लोग मारे गए तथा अन्य आठ करोड़ लोग अपंग हो गए. इसके अलावा इस विनाश लीला में बेतहाशा संपत्ति नष्ट हो गई जिसे करोड़ों-करोड़ों मेहनतकशों ने कई युगों से अपने खून-पसीने से बनाया व जुटाया था.

पूंजीवाद की छटपटाहट

वर्तमान दौर में भी एकाधिकारी पूंजीवाद स्वयं को निश्चित और अवश्यंभावी विनाश से बचाने के लिए बड़े स्तर पर हथियारों की होड़ बढ़ा रहा है, आणविक हथियारों का आविष्कार व निर्माण कर रहा है व इन्हें बड़े स्तर पर जमा कर रहा है; विश्व-स्तर पर सैनिक-अड्डे स्थापित कर रहा है; आक्रामक सैनिक गठजोड़ कर रहा हैं; तेजी से देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सैन्यीकरण की ओर मोड़ रहा है तथा हड़बड़ाहट में एक और विश्व-युद्ध की तैयारी कर रहा है. और यदि विश्व-युद्ध होता है तो इसमें विनाशकारी हथियारों तथा आधुनिक आणविक व हाइड्रोजन हथियारों, लेसर बीम्ज व बैक्टीरियोलाजीक युद्ध साधनों का खुलकर इस्तेमाल होगा, जिन्हें काफी मात्रा में जमा किया जा चुका है.

बगावत का झंडा

1917 में यह मजदूर वर्ग ही था जिसने मार्क्सवाद-लेनिनवाद के नेतृत्व में पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, हिंसा व युद्ध के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया. 1970 के दशक में वियतनाम, लाओस व कंपूचिया में अमरीका की शक्तिशाली सेना की करारी शिकस्त मजदूर वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण विजय थी. यह अक्तूबर क्रांति के बाद विश्व साम्राज्यवाद की चौथी जबरदस्त हार थी. विश्व साम्राज्यवाद की हर हार समाजवादी खेमे, दुनिया के मजदूर वर्ग व राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की जीत होती है.

विश्व मजदूर वर्ग तथा शांतिप्रिय जनवादी लोगों के लगातार संघर्ष तथा कई अन्य देशों में मुक्ति संघर्षों की विजय ने साम्राज्यवादियों को निरस्त्रीकरण पर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया.

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1970 के दशक को पहला निरस्त्रीकरण दशक घोषित किया. कई अंतराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए गए. समुद्रों की तहों में हथियारों को जमाकर देने पर पाबंदी लगा दी गई. आणविक युद्ध को रोकने व विनाशकारी हथियारों की होड़ पर अंकुश लगाने के लिए कई संधियां व समझौते किए गए.

द्विपक्षीय व बहुपक्षीय वार्ताओं के लिए बुनियाद तैयार हुई. निरस्त्रीकरण के महत्वपूर्ण मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपना पहला विशेष अधिवेशन बुलाया जिसमें कुछ अच्छे फैसले लिए गए. यूरोप की सुरक्षा व सहयोग पर 1975 में हुई हेलसिंकी संधि यूरोप की जनता व मजदूर वर्ग के

संघर्षों की एक महत्वपूर्ण देन थी. हेलसिंकी संधि के अंतिम प्रस्ताव में कई बुनियादी सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया गया जिनमें प्रमुख हैं—शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अन्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाना, राष्ट्रों की सीमाओं का उल्लंघन न किया जाना तथा उनकी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा.

संधियों का उल्लंघन

हस्ताक्षर होने के बाद अभी हेलसिंकी संधि की स्याही सूखी भी नहीं थी कि साम्राज्यवादियों ने इसे कई तरह से तोड़ना शुरु कर दिया. पहले तो उन्होंने इसे प्रचारित करने से इंकार कर दिया. फिर उन्होंने इस संधि को लागू न करने के इरादे से सोवियत रुस में हो रहे मानवअधिकारों के तथाकथित उल्लंघन के मामले को उछाला. इस तरह उन्होंने समाजवादी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मांगा जबकि वे अपने पूंजीवादी देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर बड़ी बेशर्मी के साथ लगातार पर्दा डालते रहे.

अमरीकी साम्राज्यवादियों ने चिली में अलंदे सरकार का तख्ता पलटने की साजिश की, दक्षिण कोरिया में अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया तथा कई अन्य देशों में घृणित अपराध किए. उन्होंने हथियारों की होड़ को क्रमबद्ध तरीके से व अनुपात के हिसाब से कम करने के लिए बुलाई गई स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी-II (साल्ट II) की वार्त्ता में भाग नहीं लिया. इस प्रकार एक ओर जबकि वे निरस्त्रीकरण करने की हर कोशिशों को नाकामयाब करने में लगे थे वहां दूसरी ओर वे अपनी सैन्य शक्ति व हथियारों को बढ़ाने के लिए बेतहाशा पैसा बहा रहे थे. अभी भी वे और तेजी से नरसंहार कर सकने वाले हथियारों की खोज में जुटे हुए हैं. साम्राज्यवादियों ने न्यूट्रोन बम बना लिया है जिससे लोगों को तो मारा जा सकता है लेकिन धन व संपत्ति नष्ट नहीं होती ताकि विजेता आसानी से उसे हड़प सकें. अब उन्होंने लेसर बीम का विकास भी कर लिया है जिसके प्रयोग से वे अन्य देशों के मिसाइलों को नष्ट कर सकते हैं. ये लेसर बीम प्रकाश की रफ्तार से वार कर सकती हैं. और इस सबके अतिरिक्त अमरीका की आम जनता में रुस के खिलाफ वातावरण तैयार किया जा रहा है. पिछले दशक में होने वाली घटनाओं से यह जाहिर है कि अमरीकी साम्राज्यवाद व इसके सहयोगी एक बार फिर बड़ी छटपटाहट के साथ दुनियां में अपना वही अधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं जैसाकि दूसरे विश्व युद्ध से पहले उन्होंने जमाया था. उनका यह दावा कि वे समाजवादी देशों, खास तौर से सोवियत रुस, के हथियारों के खिलाफ मुकाबला करने के लिए अपने आपको हथियारबंद कर रहे हैं, उनका विश्व शांति, जनवाद और समाजवाद के खिलाफ विचारधारात्मक युद्ध है.

मजदूरों के वेतन की बलि

पूंजीपति व साम्राज्यवादी मुद्रास्फीति व अन्य तरीकों से मजदूरों का शोषण करके ही व विकासशील देशों की लूट से ही हथियारों के भंडारों को बनाते हैं. वे हथियारों का व्यापार करते हैं क्योंकि इस व्यापार से उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है. साथ ही मजदूर वर्ग और जनता के जनवाद, शांति, मुक्ति व समाजवाद के लिए आंदोलनों को कुचलने के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल होता हैं.

अप्रैल 1977 में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने बड़ी बेशर्मी से यह स्वीकार किया कि "वियतनाम युद्ध के दौरान हुए बड़े घाटे के कारण मांग बढ़ गई व अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई. आंशिक रूप से इस युद्ध का खर्चा मुद्रास्फीति के रूप में लगाए गए अदृश्य कर से वसूल किया गया."

शांति व समाजवाद के समर्थन में

सिद्धांततः साम्राज्यवादियों द्वारा घातक हथियारों के भंडार से उभरने वाले खतरे को देखते हुए, समाजवादी देशों का यह कर्तव्य है कि वे किसी भी साम्राज्यवादी हमले से अपनी रक्षा करने के लिए और विश्व समाजवादी क्रांति व शांति की रक्षा के लिए अपनी सैन्यशक्ति व सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें. विश्व की समाजवादी व शांतिप्रिय ताकतों का भी यह कर्तव्य है कि वे साम्राज्यवादियों की जंगबाजी व उन द्वारा बढ़ाई जा रही हथियारों में वृद्धि का विरोध करें तथा आम निरस्त्रीकरण की मांग करें. मजदूर वर्ग व ट्रेड यूनियन आंदोलन को जहां एक ओर यह नहीं भूलना चाहिए कि साम्राज्यवादी पूर्ण निरस्त्रीकरण की बात मानने को तैयार नहीं होंगे क्योंकि युद्ध को बढ़ाना साम्राज्यवाद का एक लाजमी पहलू है वहां दूसरी ओर उन्हें आम निरस्त्रीकरण की मांग को और प्रबल रूप में सामने लाना चाहिए व इसके लिए जनमत तैयार करना चाहिए जिससे कि साम्राज्यवादियों को निरस्त्रीकरण की मांग स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़े.

वर्तमान दौर में साम्राज्यवादी अपने आर्थिक संकट का भार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से विकासशील देशों के मजदूर वर्ग व आम जनता पर डालते हैं. ये कंपनियां जब विकासशील देशों से कच्चा माल खरीदती हैं तो उन्हें बहुत कम कीमत देती हैं. किंतु तैयार माल इन देशों में बहुत ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है. इसके उदाहरण पिछले महीने इन्हीं पृष्ठों में प्रकाशित किए जा चुके हैं. पूंजीवादी संकट आसमान छूती कीमतों व बढ़ती हुई बेरोजगारी में साफ दिखता है. पश्चिम यूरोपीय देश भी अब यह समझने को मजबूर हो गए हैं कि अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहां बहुत कम पूंजी लगायी और उनके देशवासियों के शोषण के जरिए उनके उद्योग खरीद लिए. इस तरह कमाए गए मुनाफे का बहुत बड़ा हिस्सा शस्त्र उद्योग में लगाया जाता है जो अब, जैसा कि वाल्धाइम ने कहा, "हर पुरुष, हर महिला और हर बच्चे को दस बार मार" सकती है.

वास्तविक सहयोग बनाम हथियारों पर खर्च

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 34वें अधिवेशन में बोलते हुए क्यूबा के राष्ट्रपति फिडल कास्त्रो ने गुटनिरपेक्ष देशों की ओर से मांग की कि विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहायता दी

जाए. उन्होंने 1980 के समूचे दशक के लिए 2,500 करोड़ डालर (20,000 करोड़ रुपये) प्रति वर्ष के हिसाब से इस सहायता का कुल अनुमान (1977 के मूल्यों के आधार पर) 30,000 करोड़ डालर (2,40,000 करोड़ रुपये) बताया. पूरे दशक के लिए सहायता का यह अनुमान हथियारों की होड़ में प्रतिवर्ष खर्च होने वाले 50,000 करोड़ डालरों का केवल 60 प्रतिशत है. विश्व में सैनिक तैयारी पर होने वाला वार्षिक खर्च दुनिया के आधे गरीब देशों की कुल राष्ट्रीय आय का दो तिहाई है. पिछले कुछ वर्षों में यह खर्चा विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दी गई आर्थिक सहायता का चौदहगुना था. अब 1982 के लिए सैनिक शक्ति पर खर्च करने के लिए अकेले अमरीका का बजट 20,000 करोड़ डालर है.

हथियारबंदी का दुष्परिणाम

बिल्डिंग ट्रेड यूनियन इंटरनैशनल द्वारा अप्रैल 1980 में वियेना में आयोजित एक गोष्ठी से पता चलता है कि विश्व में 30 करोड़ मकानों की कमी है. उसका मतलब हुआ कि 120 करोड़ लोगों को आवास का बुनियादी अधिकार भी प्राप्त नहीं है. अमरीका में 10 लाख बिल्डिंग मजदूर बेकार हैं जबकि पश्चिमी व दक्षिणी यूरोप में इसकी संख्या 15 लाख है. विकासशील देशों में हालात इससे भी अधिक खराब हैं. हथियारों की दौड़ में केवल एक वर्ष में खर्च जा रहे पैसे से 6 करोड़ मकान बनाए जा सकते हैं. बिल्डिंग उद्योग में एक व्यक्ति को दिया गया काम अन्य संबंधित उद्योगों में 4 से 8 व्यक्तियों को काम दे सकता है.

अमरीका के एयरफोर्स फाइटर एफ-16 के निर्माण व विकास में जितना पैसा खर्चा जा रहा है वह दुनिया से चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के स्तर के कम से कम 8 बड़े कार्यक्रमों को चलाने के लिए काफी है. ट्राइडेंट पनडुब्बी की कीमत से विकासशील देशों में एक वर्ष तक एक करोड़ 60 लाख बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है. एक आधुनिक टैंक की कीमत जो 5 लाख डालर या 40 लाख रुपये है, से स्कूलों के 520 कमरे बनाए जा सकते हैं. एक आधुनिक विध्वंसक को बनाने की लागत दस करोड़ डालर है जबकि इतनी रकम से 90 लाख की जनसंख्या के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का प्रबंध किया जा सकता है.

1944 में अमरीका की राष्ट्रीय आय का 26 प्रतिशत, 1954 में 28 प्रतिशत, 1964 में 31 प्रतिशत तथा 1974 में 37 प्रतिशत करों से मिलता है. यदि हालात ऐसे ही चलते रहे तो इस सदी के समाप्त होने तक अमरीका के मजदूरों की 50 प्रतिशत मजदूरी करों के रूप में निकल जाएगी. अमरीकी अर्थशास्त्रियों के विचार में हथियारों व सेना पर खर्च से रोजगार की संभावनाएं नहीं होती. एक अनुमान के अनुसार अमरीका के मिलिट्री बजट में 3,000 करोड़ डालर की कटौती करने से तथा इस धन को शांतिपूर्ण कार्यों में लगाने से 7 लाख 18 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है.

इसलिए जहां तक मजदूरों व ट्रेड यूनियनों का सवाल है, हथियारों की होड़ के खिलाफ संघर्ष उनके बेहतर जीवनयापन व रोजगार के लिए संघर्ष, अपनी मजदूरी की क्रय-शक्ति को बचाने के संघर्ष, ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष, अन्याय व शोषण के खिलाफ संघर्ष, विकासशील देशों से कच्चा माल व अन्य जरूरी स्रोतों को बाहर न जाने देने के लिए संघर्ष व रोजगार को बुनियादी अधिकार मनवाने के संघर्ष के साथ सीधे-सीधे व अभिन्न रूप से जुड़ा है.

मजदूर वर्ग द्वारा चुनौती स्वीकार

22 जून 1980 को 27 हजार लोगों ने लंदन में एक जुलूस निकाला जिसका उद्देश्य टोरी सरकार द्वारा ब्रिटिश आइल्ज को अमरीकी न्यूक्लियर मिसाइल अड्डे के रूप में बदलने का विरोध करना था. इसके एक सप्ताह बाद 29 जून को एक हजार व्यक्ति विरोध प्रकट करने उस हवाई अड्डे पर भी गए जहां क्रूज मिसाइल के लिए आधार तैयार किया जाना है. इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन इंग्लैंड के उन सभी स्थानों पर हुए जहां अमरीकी मिसाइल अड्डे बनाए जाने हैं.

मजदूरों, ट्रेड यूनियनों व अन्य जनवादी शक्तियों के विरोध प्रदर्शन के फलस्वरूप नाटो के तीन अन्य सदस्य देशों—नारवे, नीदरलैंड व बैल्जियम ने मजबूर होकर अपनी भूमि पर मिसाइल अड्डे बनाए जाने से या तो बिल्कुल इंकार कर दिया या इसे फिलहाल टाल दिया.

जून 1980 में फ्रांस में सी.जी.टी. सहित 14 जन संगठनों ने यूरोप में अमरीकी मिसाइल तथा फ्रैंच न्यूट्रोन बम के खिलाफ आम प्रदर्शन किए. इन जन-संगठनों के प्रतिनिधि ब्रसेल्ज भी गए जहां नाटो का मुख्यालय है व अपना विरोध प्रकट किया.

फ्रांस की सी.जी.टी. तथा पश्चिम जर्मनी की एफ.डी.जी.बी. की एक संयुक्त बैठक जून 1980 में लिमोजेस में हुई. इस बैठक में मजदूर वर्ग का आह्वान किया गया कि वह विश्व शांति को खतरे में डालने की कोशिशों के प्रति चौकस रहे.

सितंबर 1980 में ब्राइटन में हुई ट्रेड यूनियन कांग्रेस में शीत युद्ध का वातावरण फिर पैदा करने के इंग्लैंड की कोशिशों की निंदा की गई.

गैरी (इंडियाना) में 20-22 जून 1980 को ट्रेड यूनियन एक्शन पर हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में हथियारों के होड़ की निंदा की गई. इसमें 'रूसी खतरे' का हव्वा खड़ा करने के प्रयत्नों की भी आलोचना की गई जिसको कि प्रतिक्रियावादी हथियारों पर खर्च बढ़ाने का बहाना बनाते हैं. जबकि एक ओर अमरीकी सरकार कहती है कि उसके पास रोजगार, भोजन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य रक्षा के लिए धन नहीं है वहां दूसरी ओर हथियारों पर हजारों करोड़ डालर खर्च जा रहे हैं.

21 जून 1980 को जब पहले दिन कार्टर सरकार ने लामबंदी का आदेश निकाला तो हजारों अमरीकी नागरिक इसका विरोध करने व शांति के लिए आवाज बुलंद करने के

लिए सड़क पर निकल आए और उन्होंने प्रदर्शन किए. वाशिंगटन में सिलेक्टिव सर्विस नेशनल हैडक्वार्टर्ज के सामने और समूचे देश में डाक घरों के सामने प्रदर्शन हुए.

डब्ल्यू. एफ. टी. यू. की 9वीं वर्ल्ड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (प्राग, 1978) ने, जिसमें सभी महाद्वीपों के 21 करोड़ मजदूरों के प्रतिनिधि मौजूद थे, शांति व निरस्त्रीकरण के मुद्दे को दुनिया के मजदूर वर्ग व ट्रेड यूनियनों के नाम अपील का केंद्रीय उद्देश्य बनाया.

भारत तथा हिंद महासागर क्षेत्र के अन्य देशों में हाल ही में मजदूरों व ट्रेड यूनियनों ने अमरीका द्वारा हथियारों को बढ़ाने, हमलों के अड्डे तैयार करने और खासतौर से दियागो गार्सिया में न्यूक्लीयर अड्डा बनाने के खिलाफ अनेक प्रदर्शन किए.

जनमत जुटाओ

समाजवादी देशों की एकजुट व मुस्तैद सेनाएं तथा विश्व स्तर पर शक्तिशाली मजदूर वर्ग व ट्रेड यूनियन आंदोलन दोनों मिलकर साम्राज्यवादियों की किसी भी आक्रामक कार्यवाही का सामना जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब देकर कर सकते हैं. शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तभी संभव है जब साम्राज्यवाद के सभी पहलुओं—आर्थिक, राजनैतिक, विचारधारात्मक व सैनिक-का जमकर मुकाबला किया जाए.

भारत का मजदूर वर्ग व ट्रेड यूनियन आंदोलन "शांति की हिफाजत व जंगबाजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जनता को एकजुट करें और समूची दुनिया में शांति के लिए संघर्षरत जनता में अपना सही स्थान अपनाए." सितंबर 1980 में कन्नानोर में हुई सीटू की जनरल काउंसिल की बैठक का मजदूर वर्ग के लिए यही आह्वान है.

—विजेंद्र शर्मा

गोदी व बंदरगाह कर्मचारियों की विजय

देश के गोदी व बंदरगाह कर्मचारियों की एकता व दृढ़ निश्चय ने सरकार को 4 जनवरी को लगातार हड़ताल शुरू होने से कुछ ही घंटों पहले समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया.

इससे पहले 27 नवंबर 1980 को सरकार और गोदी व बंदरगाह कर्मचारियों की चारों फेडरेशनों के बीच समझौते के मुख्य पहलू तय किए गए थे जिसके कारण 28 नवंबर से शुरू होने वाली हड़ताल वापस ले ली गई थी.

लेकिन जब 27 नवंबर के समझौते को लिखित रूप दिया जा रहा था तो सरकार ने बढ़ोत्तरी की दरों, वेतन मानों के विस्तार, विशेष भत्ते को सभी उद्देश्यों के लिए वेतन मानने आदि सवालों पर मतभेद पदा करके समझौते को तोड़ने की कोशिश की. इस लिए चारों फेडरेशनों ने 5 जनवरी से लगातार हड़ताल पर जाने का फिर नोटिस दिया.

सरकार द्वारा बुलाई गई 3 जनवरी की समझौता वार्ता नाकामयाब रही और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र पाटिल ने गुस्से से कहा कि अब वार्ता की कोई गुंजाइश नहीं है तथा मजदूरों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा. लेकिन समूचे देश के गोदी व बंदरगाह मजदूरों के दृढ़ निश्चय ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह पहले समझौते का सम्मान करें ☐

ट्रेड यूनियन शिक्षा शिविर

जनवरी के महीने में सीटू ने तीन और ट्रेड यूनियन स्कूलों का आयोजन किया. इनमें से एक स्कूल 7 से 11 जनवरी के बीच पुरी में और दूसरा स्कूल रोहतक (हरियाणा) में 19 से 23 जनवरी के बीच आयोजित किया गया. तीसरा स्कूल तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) में 25 से 29 जनवरी तक हुआ. इस स्कूल में ट्रेड यूनियनों से संबंधित अनेक विषयों पर भाषण हुए. इनमें से हरेक स्कूल में 40

[शेष पृष्ठ बारह पर]

गणतंत्र दिवस पर सोवियत ट्रेड यूनियनों द्वारा सीटू को बधाई

भारतीय *गणतंत्र दिवस* की 31वीं *सालगिरह* पर *सोवियत रूस की आल यूनियन सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंज ने सीटू को निम्नलिखित बधाई संदेश भेजा है.*

प्रिय साथियो, आल यूनियन सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंज के नेतृत्व में संगठित सोवियत रूस के मजदूर, कर्मचारी व किसान भारतीय गणतंत्र की 31 वीं वर्षगांठ पर भारत के मजदूर वर्ग व ट्रेड यूनियनों को बधाई संदेश भेजते हैं. हमें इस बात का हर्ष है कि भारत व सोवियत रूस के मजदूर व ट्रेड यूनियनें सम्मिलित रूप से शांति, जनवाद व सामाजिक प्रगति के समर्थन में तथा साम्राज्यवादी व प्रतिक्रियावादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं. इस संयुक्त संघर्ष का एक अन्य लाभ यह है कि इससे दोनों देशों के मजदूर व ट्रेड यूनियन आंदोलन एक दूसरे के और नजदीक आयेंगे. सोवियत रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव व सोवियत रूस की सुप्रीम सोवियत के अध्यक्ष लियोनिद ब्रेजनेव की ऐतिहासिक भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच मित्रता व सहयोग में वृद्धि होगी व एशिया ही नहीं बल्कि तमाम विश्व में शांति व सुरक्षा की भावना को बल मिलेगा. इस अवसर पर हम नया भारत बनाने में भारतीय मजदूरों व उनकी ट्रेड यूनियनों के प्रयासों की मंगल कामना करते हैं. ☐

जीवन बीमा निगम कर्मचारियों को बोनस

औद्योगिक कानून में नया दृष्टिकोण

प्रसिद्ध न्यायविद, सेवानिवृत्त श्री कृष्ण अय्यर, जिन्हें हम सुप्रीम कोर्ट में हमेशा याद करेंगे, ने भारत के जीवन बीमा निगम बनाम डी. जे. बहादुर और चंद्रशेखर बोस व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य ((1980) एल. ए. बी. आई. सी. 1218) केसों में औद्योगिक कानून को एक बार फिर नया दृष्टिकोण दिया है. ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को, खास-तौर से सार्वजनिक उद्योग के, इस फैसले से खुश होना चाहिए. अब तक कानून की इतनी अच्छी तरह से व्याख्या नहीं की गई थी जितनी की इस केस में की गई है, और यही समझा जाता रहा कि कानूनी कंपनियां, जिन्हें कर्मचारियों की सेवाशर्तों से संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, औद्योगिक विवाद कानून के तहत किए गए समझौतों या फैसलों को नकार सकते हैं या उनके प्रावधानों को अनदेखा कर सकते हैं.

मौजूदा केस राम प्रकाश मनचंदा बनाम भारत सरकार तथा मदन मोहन पाठक बनाम भारत सरकार (ए 1978 एस सी 803=(1978) 3 एस सी आर 334) के केसों में दिए गए फैसले से पैदा हुआ है. इन केसों में 1976 के बोनस की अदायगी (संशोधन) कानून को कामयाबी के साथ चुनौती दी गई थी. यह कानून इसलिए लागू किया गया था ताकि बोनस पर 1974 के समझौते को लागू न किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कानून को रद्द कर दिया और 1974 के समझौते के अनुसार निगम के श्रेणी-3 व श्रेणी-4 के कर्मचारियों को बोनस देने का जीवन बीमा निगम को निर्देश दिया. उसके बाद, निगम ने औद्योगिक विवाद कानून की धारा 19(2) और साथ ही उसकी धारा 9 ए के तहत नोटिस जारी किए जिनके द्वारा 1974 के समझौते को खत्म किया गया.

इस केस में दो सवाल पैदा हुए. पहला सवाल है कि क्या जीवन बीमा निगम कानून औद्योगिक विवाद कानून को लांघ या कुचल सकता है. दूसरा सवाल है कि क्या कोई समझौता या फैसला अगर कानून की धारा 19(2) या 19(6) के तहत खत्म कर भी दिया जाए तो मालिक और कर्मचारी के बीच संबंधों को संचालित करता रहेगा.

पहले सवाल के बारे में कोर्ट ने कहा कि औद्योगिक विवाद कानून एक विशेष कानून है जबकि जीवन बीमा निगम कानून एक आम या सामान्य कानून है. औद्योगिक विवाद कानून मुख्य कानून है जबकि जीवन बीमा निगम कानून बाद का कानून है. यह पता लगाने में कि कौनसा कानून विशेष है या सामान्य, न्यायधीश अय्यर ने कहा कि ध्यान मुख्य विषय और विशेष दृष्टिकोण पर केंद्रित होना चाहिए. यह हो सकता है कि एक अमुक कानून किसी के लिए सामान्य हो और दूसरे के लिए विशेष. इस प्रकार जीवन बीमा निगम कानून राष्ट्रीयकरण के लिए एक विशेष कानून है. लेकिन, इसका मालिकान और कर्मचारियों के बीच विवादों की अमुक समस्याओं के साथ या ऐसे विवादों की छानबीन और निपटारे के साथ कोई लेना-देना नहीं है.

न्यायधीश अय्यर ने यह ठीक ही कहा है कि जीवन बीमा निगम कानून कर्मचारियों के एक ऐसे समुदाय से ताल्लुक रखता है जो औद्योगिक विवाद कानून की व्याख्या में कामगार नहीं है और इसके फलस्वरूप कथित कानून के प्रावधान सामान्य प्रकृति के हैं. अगर विशेष ध्यानाकर्षण कामगारों और मालिकान के बीच औद्योगिक विवादों पर है तो यह विशेष बात कथित कानून का विषय नहीं है. इसी लिए न्यायधीश अय्यर के मुताबिक औद्योगिक विवादों पर समझौता या उनका निपटारा एक खास विषय है, जबकि जीवन बीमा निगम कानून के प्रावधान सामान्य हैं जिनका संबंध राष्ट्रीयकरण से, राष्ट्रीयकरण की गई कंपनियों के प्रबंध व प्रशासन से और निजी कंपनियों से राष्ट्रीयकरण की गई कंपनियों के कर्मचारियों के तबादले सहित कई अन्य बातों से है. कथित कानून में कर्मचारियों की सेवाशर्तों के नियम हैं लेकिन ऐसे कर्मचारी विभिन्न वर्गों से संबंध रखते हैं, उनसे भी जो कामगार नहीं हैं.

इसलिए, मालिकान और कामगारों के बीच औद्योगिक विवादों का जहां तक सवाल है, औद्योगिक विवाद कानून एक विशेष कानून है.

यदि जीवन बीमा निगम कानून एक सामान्य कानून है और औद्योगिक विवाद कानून एक विशेष कानून है, तो इसका मतलब है कि उस कानून के प्रावधानों को जीवन बीमा निगम कानून के प्रावधान लांघ नहीं सकते और इस कानून को औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के लिए रास्ता देना चाहिए.

असलियत में, आर. पी. मनचंदा बनाम भारत सरकार और मदन मोहन पाठक बनाम भारत सरकार के केसों में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था.

लेकिन जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि जीवन बीमा निगम ने आर. पी. मनचंदा और मदन मोहन पाठक के केसों के उपरोक्त फैसले को औद्योगिक विवाद कानून के तहत नोटिस जारी करके नजरदाज करने की कोशिश की. ये नोटिस इस कानून की धारा 19(2) और साथ ही धारा 9ए के तहत जारी किए गए. निगम ने, निगम और कर्मचारियों के बीच हुए 1974 के समझौते को खत्म कर दिया और इस प्रकार श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के कर्मचारियों को कथित समझौते द्वारा दिये गये बोनस से उन्हें वंचित करने की कोशिश की.

अब क्या होता है यदि एक समझौते को या किसी फैसले को धारा 19(2) (या धारा 19(6) के तहत जैसा भी मामला हो) के तहत खत्म कर दिया जाता है. न्यायधीश कृष्ण अय्यर ने साफ शब्दों में यह कहा है कि समझौते को खत्म कर दिए जाने के बाद भी समझौता लागू रहता है. विद्वान न्यायधीश के मुताबिक एक सम-

भौते को या फैसले को खत्म करना मालिक या कर्मचारी को यह केवल नए विवाद खड़े करने, समझौतावार्ता करने, या निपटारे के लिए दोबारा मांग करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है. जब तक नए निपटारे के समझौते या फैसले को पहले वाले की जगह लागू नहीं किया जाता, पहला समझौता या फैसला ही दोनों पक्षों के बीच संबंधों को तय करेगा. विद्वान न्यायधीश ने कहा कि औद्योगिक कानून कानून-रहित शून्यता को खत्म करता है और सामान्य कानून के तहत एक फैसले या समझौते द्वारा निर्धारित सेवाशर्तें तब तक लागू रहती हैं जब तक कि एक नया कानूनी समझौता नहीं होता. क्योंकि नहीं तो बड़े अपवाद पैदा हो जाएंगे. अवश्य ही यह सुझाव नहीं दिया जा सकता कि यदि किसी समझौते या फैसले के तहत, मान लीजिए, एक कामगार को 1,000 रुपये प्रति महीना मिलते हैं तो जैसे ही फैसले या समझौते को खत्म कर दिया जाता है तो उसको वही वेतन या कुलराशि दी जाएगी जो उसे समझौता या फैसला होने, जिसे खत्म कर दिया गया है, से पहले मिला करती थी. किसी फैसल या समझौते के खत्म होने से रोजगार का इकरारनामा खत्म नहीं होता है और उस फैसले या समझौते के प्रावधान तब तक लागू रहते हैं जब तक कि उन्हें किसी नए निपटारे या नए इकरारनामे से बदला नहीं जाता.

इसको दूसरे नजरिये से देखने के लिए मंगलदास नारायणदास बनाम वेतन अदायगी प्राधिकरण ((1957)2 एल एल जे 256) केस में बंबई हाई कोर्ट के फैसले पर नजर डालते हैं. इसमें कहा गया है कि जब औद्योगिक न्यायधिकरण द्वारा एक फैसला दिया जाता है (और तर्कों के आधार पर एक समझौता होता है), तो इसके प्रभावस्वरूप मालिक और कर्मचारी के संबंधों को तय करने का कानूनी इकरारनामा लागू होता है. समझौते को या इकरारनामे को तोड़ने का केवल यह नतीजा निकलता है कि फैसले में निहित किसी भी मामले के संबंध में धारा 23 (सी) कामगारों द्वारा हड़ताल किए जाने में या मालिक द्वारा तालाबंदी किए जाने में रास्ते में रूकावट नहीं बनेगा, और न ही समझौते या फैसले की मदों पर आघात करेगा व औद्योगिक विवाद कानून की धारा 279 के तहत पार्टी को सजा देगा. यह पूर्व-गामी इकरारनामे या समझौते का केस नहीं है जिसे निलंबित किया जा रहा है क्योंकि औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों से निलंबन के लिए कोई भी प्रावधान नहीं निकाला जा सकता.

न्यायधीश अय्यर ने सुप्रीम कोर्ट के तीन फैसलों पर भरोसा किया जैसे चाको का केस ((1964)5 एस सी आर 625 (630,631)= ए आई आर 1964 एस सी 1522), मुहम्मद कासिम लारी का केस ((1964)7 एस सी आर 419 (422)= ए आई आर 1964 एस सी 1699) और इंडियन आयल कार्पोरेशन के केस ((1976)1 एस सी आर 110 (117)= ए आई आर 1975 एस सी 1856). पहले केस में न्यायधीश दासगुप्ता ने औद्योगिक विवाद (बैंकिंग कंपनी) कानून के हवाले के साथ कहा कि हालांकि फैसला 31 मार्च, 1959 को खत्म हो गया, लेकिन नये इकरारनामे से पार्टियों के बीच संबंध तय होना तब तक जारी रहेगा जब तक यह एक दूसरे इकरारनामे द्वारा हटा नहीं दिया जाता.

दूसरे केस में मुख्य न्यायधीश गजेंद्र गडकर ने कहा कि जब एक फैसला दिया जाता है और यह नया वेतन दर देता है तब कानून में पुराने इकरारनामे के वेतन दर लागू नहीं रहते और इसका स्थान फैसले द्वारा तय किया गया वेतन दर ले लेता है और यह तब भी लागू रहता है यदि औद्योगिक विवाद कानून की धारा 19 की उपधारा (2) या (6) के तहत फैसले या समझौते का लागू होना खत्म भी कर दिया जाए. ऐसा ही इंडियन आयल कार्पोरेशन के केस में कहा गया है.

न्यायधीश अय्यर के अनुसार, कानून स्पष्ट है कि फैसला या समझौता तब तक खत्म नहीं हो जाता बल्कि लागू रहता है जब तक कि एक नए समझौते या फैसले से सेवाशर्तों का नया नियम नहीं बन जाता.

यह धारणा उठाई गई कि जब एक फैसला या समझौता खत्म किया जाता है तो फैसले या समझौते का केवल वही भाग लागू रहता है जिसे पहले ही लागू किया जा चुका है लेकिन उन भागों पर जिन्हें भविष्य में लागू करना है, खत्म किए जाने वाला आदेश लागू होता है. न्यायधीश श्री अय्यर ने इस तर्क को रद्द कर दिया और कहा कि फैसले को दो भागों में तोड़ने से, यानि वह भाग जिसके तहत सुविधाएं प्राप्त की जा चुकी हैं और वह भाग जिसके तहत सुविधाएं प्राप्त नहीं की गई हैं, उत्पन्न शून्यता से बचने का मतलब है कि फैसले को इस तरह से काटना जो कानून या तर्क के अनुसार जायज नहीं है. बात की वास्तविकता यह है कि फैसले को खत्म कर दिये जाने का मतलब यह नहीं है कि फैसले का अस्तित्व नहीं है; फैसले को खत्म कर दिए जाने का परिणाम यह है कि दोनों पार्टियों को यह छूट है कि वे परिवर्तन का नोटिस दे सकती हैं और परिवर्तन के बारे में कोशिशें कर सकती हैं.

संक्षेप में, चंद्रशेखर बोस व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य और जीवन बीमा निगम बनाम डी. जे. बहादुर (सुप्रा) के केसों में, सुप्रीम कोर्ट ने नए आधार स्थापित किए हैं और औद्योगिक समानता और न्याय की सीमाएं खोल दी हैं.

— अरुण प्रकाश चटर्जी

कामरेड एस वेंकटराम

हिंद मजदूर सभा (एच एम एस) के अध्यक्ष कामरेड एस वेंकटराम का बंगलौर में 20 जनवरी को असामयिक निधन हो गया.

सीटू अध्यक्ष बी टी रणदिवे ने एच एम एस तथा संतप्त परिवार को भेजे गये अपने संदेशों में कामरेड वेंकटराम के निधन पर दुःख प्रकट किया.

नई दिल्ली स्थित एच एम एस मुख्यालय में 23 जनवरी को हुई एक शोक सभा में अन्य व्यक्तियों के अलावा सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती व सीटू की दिल्ली राज्य समिति के सचिव जोगेंद्र शर्मा भी उपस्थित हुए व उन्होंने दिवंगत ट्रेड यूनियन नेता को श्रद्धांजलि दी. □

बीड़ी निर्यात बाजार से मजदूरों को कोई फायदा नहीं

भारत के बीड़ी उद्योगों में 25 से 30 लाख मजदूर कार्यरत हैं. जिनमें से 90 प्रतिशत महिलाएं हैं लगभग 15 लाख मजदूर सामूहिक रूप से शेड़ों में काम करते हैं और बाकी के मजदूर अधिकतर गांवों में अपने घरों में काम करते हैं. बीड़ी को, तेंदू के पत्ते में तंबाकू भरकर धागे से बांधकर बनाया जाता है. इसको बनाने के लिए कैंची कार्डबोर्ड के अतिरिक्त किसी औजार की आवश्यकता नहीं होती है.

भारत में साल में 360 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा की बीड़ियां तैयार की जाती हैं, लेकिन केवल 128 करोड़ रुपये ही बीड़ी मजदूरों को वेतन के रूप में मिलते हैं.

न्यूनतम वेतन का भी न मिलना

घर में बीड़ी बनाने के लिए माल देने वाले ठेकेदार कानूनन न्यूनतम वेतन के आधे के बराबर से अधिक वेतन कभी-कभी ही देते हैं. न्यूनतम वेतन मिलना तो नामुमकिन है. बीड़ी मजदूरों को संगठित करने के प्रयत्न जारी हैं. बीड़ी बनाने की इच्छुक बेरोजगार महिलाओं की संख्या, मजदूरों की मांग से ज्यादा है इसलिए ठेकेदारों की मनमर्जी ही चलती है.

कुछ भी हो गरीब ग्रामीण घरेलू मजदूरों के लिए तो बीड़ी बनाना रोजी-रोटी का एक महत्वपूर्ण साधन है. हाल ही में आई. एल. ओ. द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि बीड़ी बनाने से महिलाओं की आम सर्वे किए गए घरों की कुल आय का 45.5 प्रतिशत है. विधवा और अन्य महिलाओं, जिनपर सारा घर निर्भर होता है, के लिए बीड़ी बनाना तो जीने का एक मात्र सहारा होता है.

कामगार संगठित हों

अधिकतम श्रम प्रधान व तकनीकी दृष्टि से आसान बीड़ी उद्योग में मजदूरों को अपनी दशा सुधारने का एक मात्र तरीका संगठन ही है. आई. एल. ओ. के सर्वेक्षण में 55 प्रतिशत महिलाओं ने सहकारिता के विचार का समर्थन किया है और 45 प्रतिशत महिलाओं ने अपने आप सहकारिता चलाने का विचार व्यक्त किया है.

भारत बीड़ी का निर्यात मुख्यत: पड़ोसी देशों को ही करता आया है लेकिन अब इसके बाजार का विस्तार अमरीका व यूरोप में होने लगा है. निर्यात करने की मात्रा अभी भी सीमित है लेकिन इसके बढ़ने की आशा है जो इस उद्योग को एक नई दिशा प्रदान करेगी.

लेकिन, निर्यात बाजार को बढ़ाने से होने वाले अधिक मुनाफों से मजदूरों को तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक वे उत्पादन पर अपना नियंत्रण नहीं कर लेतें और बढ़े मुनाफे का बटवारा सही ढंग से नहीं करा लेते.

(आई. एल. ओ. की *रिपोर्ट पर आधारित*)

कामगार महिलाओं की सामूहिक छंटनी

तंबाकू, माचिस, खदान, क्वायर और अन्य उद्योगों में कामगार महिलाओं को यंत्रीकरण के कारण सामूहिक छंटनी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है. आंध्र प्रदेश में संसार की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी ब्रिटिश अमेरिकन टोबेको कंपनी की एक सहायक कंपनी इंडियन टोबेको कंपनी ने थ्रेशिंग प्लांट के जरिए तंबाकू के पत्तों को अब मशीनों द्वारा प्रोसेस करने की प्रणाली अपनानी शुरू की है. पहले ही तीन ग्रीन लीफ थ्रेशिंग प्लांट, जिनमें दो बंगलोर और एक आंध्र प्रदेश में है, चालू हैं और आंध्र प्रदेश में तीन और प्लांट लगाने का काम चालू है. इसका नतीजा यह हुआ कि लगभग एक लाख कामगार महिलाएं जो उद्योग में कार्यशक्ति का 90 प्रतिशत हैं, निकाल बाहर की जाएंगी जिसके बदले में उन्हें सिर्फ भुखमरी व नैराश्य प्राप्त होगा.

इसी प्रकार के हालात तमिलनाडु व केरल के माचिस उद्योगों के हैं जहां लेबल लगी माचिस की डिब्बी को बनाने के लिए भारी मशीनों के प्रयोग की संभावना है जिससे एक लाख से ज्यादा कामगार महिलाओं की रोजी-रोटी पर आघात होगा. केंद्रीय सरकार ने इन मशीनों के आयात के लाइसेंस पहले से ही जारी कर दिए हैं.

कामगार महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति ने 23 दिसंबर को श्रममंत्री को एक मांग पत्र पेश किया और मशीनों के आयात से होने वाली गंभीर समस्या के बारे में बताया. समन्वय समिति ने तमिलनाडु की माचिस फैक्ट्री में यंत्रीकरण लादने के प्रयत्नों पर पाबंदी लगाने, सभी यंत्रीकरण के लिए लाइसेंसों को रद्द करने व भविष्य में इनके जारी होने पर रोक लगाने, क्वायर बोर्ड द्वारा क्वायर उद्योग के स्पिनिंग क्षेत्र में यंत्रीकरण करने पर रोक लगाने और फक्ट्रियों व अन्य जगहों पर यंत्रीकरण द्वारा रोजगार से वंचित की गई कामगार महिलाओं को पुन: काम पर वापस लेने की मांग की है.

समन्वय समिति ने राज्यों में अपनी सभी यूनिटों को कामगार महिलाओं पर होने वाले इन आघातों के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया है. समन्वय समिति की सचिव विमला रणदिवे ने 7 जनवरी को एक बयान जारी करते हुए ट्रेड यूनियनों व महिलाओं के संगठनों का और कामगार महिलाओं का, भुखमरी व नैराश्य से महिलाओं को बचाने के लिए उनपर होने वाले इन आक्रमणों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करने का आह्वान किया. □

एच. एस. सी. एल. मजदूरों की 19 फरवरी को अखिल भारतीय हड़ताल

हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक 15 जनवरी को कलकत्ता में हुई जिसमें 20 हजार से अधिक एच एस सी एल मजदूरों की एक दिन की अखिल भारतीय हड़ताल 19 फरवरी को आयोजित करने का निर्णय लिया गया. यह हड़ताल सभी ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से पेश किए गए मांगपत्र, कुद्रेमुख के 239 एच एस सी एल मजदूरों की मनमाने ढंग से छंटनी किए जाने, हैदराबाद में 5 सीटू कार्यकर्ताओं के विक्टिमाइजेशन आदि के खात्मे और ठेका मजदूर प्रणाली को खत्म करने पर बातचीत करने के लिए गैरजरूरी देरी करने, पर अपना रोष प्रकट करने के लिए की जाएगी.

सीटू सचिव एम. के. पंधे ने बताया कि किस प्रकार बातचीत कमेटी में सीटू से अधिक जगह लेने के लिए इंटक द्वारा अपनाए गए अड़ियल रवैये के कारण मांगपत्र पर बातचीत रुकी. भारत सरकार भी एच एस सी एल में काफी नुकसान के बहाने कोई अर्थपूर्ण बातचीत करना नहीं चाहती है. उन्होंने यह बताया कि यदि प्रबंधकों को कुद्रेमुख मजदूरों की छंटनी करने दी गई तो इससे एच एस सी एल में और भी छंटनी होंगी और हजारों मजदूर बेकार हो जाएंगे.

बैठक में, कुद्रेमुख के मजदूरों की छंटनी के खिलाफ उनके जुझारू संघर्ष पर बधाई दी गई. जिन पांच मजदूरों को छंटनी के आदेश दिए गए हैं उनका एक महीने से भी ज्यादा समय से मैनेजिंग डायरेक्टर के कार्यालय के बाहर धरना जारी है.

एच एस सी एल में कोआर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों ने अन्य एच एस सी एल प्रोजेक्टों में कुद्रेमुख के मजदूरों को नौकरी देने की मांग की है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ठेकेदारों को काम देने की बजाए काम को विभागीय तौर पर कराया जाए जिससे एच एस सी एल में सरपलस की भी समस्या खत्म हो जाएगी. कोआर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों ने हैदराबाद में पांच सीटू कार्यकर्ताओं को दिए गए मुअत्तिली के आदेशों को वापस लेने की भी मांग की. भिलाई के प्रबंधकों द्वारा की गई गंभीर धांधली जो सीटू प्रकाश में लाई थी पर कोई कार्यवाही न करने की उन्होंने कड़ी आलोचना की.

कलकत्ता कार्यालय के कर्मचारियों ने धरने पर बैठे कुद्रेमुख के मजदूरों के खर्चे के लिए 1,300 रुपये इकट्ठा किए हैं. कलकत्ता द्वितीय हुगली ब्रिज प्रोजेक्ट में काम करने वाले वर्क-टीम मजदूरों ने कुद्रेमुख के लड़ाकू मजदूरों को 500 रुपये की सहायता दी. □

बीड़ी और सिगार मजदूरों की त्रिपक्षीय बैठक

बीड़ी और सिगार मजदूर (रोजगार की स्थिति) कानून, 1966 की त्रिपक्षीय बैठक 21 जनवरी को नई दिल्ली में हुई. श्रम राज्य मंत्री रामदुलारी सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की. उप श्रम मंत्री वेंकट रेड्डी भी उपस्थित थे.

रामदुलारी सिन्हा ने कहा कि यह नियम समूचे देश में लागू होना चाहिए. केंद्र व राज्य स्तर पर इसे लागू करने के लिए कमेटियां और उसकी समीक्षा के लिए कमेटियां गठित करने का भी इस बैठक में निर्णय लिया गया.

सीटू उपाध्यक्ष सी. कन्नन ने सीटू की ओर से प्रतिनिधित्व किया और कानून में 8 संशोधन पेश किए जिनमें ठेका प्रणाली का खात्मा, "औद्योगिक क्षेत्र" में कच्चे झुग्गी मकानों, जहां बीड़ी और सिगार बनाई जाती है, को भी शामिल करना और इन मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश; पहले अपराध के लिए जुर्माना बढ़ाकर एक हजार रुपये और फिर बाद में ऐसे अपराधों के लिए अनिवार्य कैद, आदि शामिल हैं.

बीड़ी मजदूरों के न्यूनतम वेतन में प्रत्येक दो साल में संशोधन करने का भी बैठक में निर्णय लिया गया. मजदूरों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से, न्यूनतम वेतन 15 रुपये प्रति हजार बीड़ी और फाल बैक वेतन 10 रुपये प्रति दिन, का सुझाव दिया.

ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से घरेलू मजदूरों सहित सभी मजदूरों को प्रोविडेंट फंड स्कीम में लाने का सुझाव दिया.

सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी आन बीड़ी वर्कर्स वेल्फेयर फंड की भी 23 जनवरी को नई दिल्ली में एक बैठक हुई.

ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने बीड़ी के बजाय तंबाकू पर ड्यूटी की मांग की.

बैठक में, राज्य में बीड़ी मजदूरों की संख्या के आधार पर ही कल्याण-कारी फंड का उपयोग करने का निर्णय लिया गया. इसमें, 5 हजार या इससे ज्यादा मजदूरों के लिए चिकित्सालय खोलने का भी निर्णय लिया गया जो सीटू प्रतिनिधि, सी. कन्नन और निजामुद्दीन का सुझाव था. चलते-फिरते चिकित्सालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी और ये ग्रामीण क्षेत्रों में काम करेंगे. बीड़ी मजदूरों में आम टी. बी. जैसे रोगों को जानने के लिए एक विशेष विशेषज्ञ कमेटी गठित की जायगी.

आवासीय प्रश्न पर ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने मकान बनाने के लिए 10 हजार रुपये, जो 50 प्रतिशत ऋण और 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में हो, देने की मांग की. राज्य सरकारों को एडवाइजरी कमेटी के गठन का सुझाव दिया जाएगा. टी. बी. आदि रोगों के लिए चिकित्सालय में भर्ती किए गए मजदूरों का सबसिस्टेंस भत्ता 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये किया जाएगा. □

सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों की लगातार हड़ताल जारी

"सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों के कर्मचारियों ने इस हड़ताल से न केवल यह दिखा दिया है कि उनकी मांगें जायज हैं बल्कि यह भी दिखा दिया है कि इन जायज मांगों के लिए चल रहे संघर्ष में वे एकजुट हैं". शब्द है 12 जनवरी के अंग्रेजी दैनिक 'डेकन हैराल्ड' के जिसके सम्पादक अपने संपादकीय के माध्यम से 26 दिसंबर से चली आ रही इस हड़ताल पर अपनी टिप्पणी कर रहे थे.

बंगलौर, हैदराबाद तथा अन्य स्थानों पर एच. ए. एल., बी. ई. एल., बी. ई. एम. एल., आई. टी. आई., एच. एम. टी. आदि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पिछले एक महीने से अधिक समय से चली आ रही है. कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने पर तब मजबूर होना पड़ा जब प्रबंधक अपने इस वायदे से मुकर गए कि यदि बंगलौर स्थित किसी भी सार्वजनिक संस्थान अथवा भेल में वेतनवृद्धि होती है तो सभी अन्य संस्थानों में भी ऐसा ही किया जायगा. इस वायदे के बाद भेल ने जनवरी 1980 में अपने कर्मचारियों के साथ वेतनवृद्धि का समझौता कर लिया व 1 सितंबर 1978 से ही इसे लागू हुआ मान लिया. किंतु सरकार अन्य संस्थानों में इसी प्रकार की बढ़ोतरी करने के अपने वायदे से साफ मुकर गई है तथा इसके लिए उठने वाली मजदूरों की आवाज को दबाने के लिए दमन का सहारा ले रही है.

जुलाई 1980 में सीटू की कर्नाटक राज्य कमेटी ने भेल समझौते के पूरे विवरण को प्रकाशित किया व बंगलौर के सभी सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों के कर्मचारियों में प्रचारित किया. इसके बाद सभी संस्थानों की यूनियनों ने इस मामले को अपने-अपने प्रबंधकों के सामने उठाया किंतु प्रबंधकों ने इस पर कोई ध्यान न दिया.

तब बंगलौर के सभी सार्वजनिक संस्थानों की यूनियनों ने एक ज्वाइंट एक्शन फ्रंट बनाया व प्रबंधकों के आगे एक संयुक्त मांगपत्र पेश किया. किंतु फिर भी प्रबंधकों ने इस मसले को अपनी यूनियनों से बातचीत कर सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. कोई अन्य रास्ता न देखकर यूनियनों ने हड़ताल पर जाने का निश्चय किया और इसके लिए 10 दिसंबर के बाद किसी भी दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का नोटिस दिया. हड़ताल शुरू होने के कुछ दिन पहले श्रम आयुक्त ने हस्तक्षेप किया किंतु इसका कोई फायदा न हुआ.

इस समस्या के प्रति सरकार का अड़ियल व जिद्दी रवैया देखकर ट्रेड यूनियनों ने अपने संघर्ष को तेज करने का निश्चय किया तथा सारे मजदूर वर्ग का सहयोग मांगा. केंद्रीय ट्रेड यूनियनों—सीटू, एटक, एच. एम. एस. व बी. एम. एस.—की एकता समिति बनी तथा आंदोलन को तेज करने के के लिए कई कदम उठाए गए.

इस बीच केंद्रीय सरकार ने घोषणा की कि भेल समझौता अवैध है क्योंकि इसे मंत्रिमंडल का अनुमोदन नहीं मिला था. इसका कारण यह बताया गया कि जनवरी 1980 में जब यह समझौता हुआ तब केंद्र में कोई भी सरकार काम नहीं कर रही थी. केंद्रीय मंत्री सी. एम. स्टीफन बंगलौर गए और उन्होंने धमकी देने के स्वर में फरमाया कि सरकार भेल समझौते को तोड़ सकती है. यह गीदड़ धमकी देते हुए मंत्री महोदय भूल गए कि औद्योगिक संबंध धमकियों से नहीं बल्कि बातचीत के द्वारा ठीक रहते हैं. मंत्री महोदय की इस हरकत पर खेद प्रकट करते हुए डेक्कन हैराल्ड के एक सम्पादकीय ने लिखा कि "ऐसे समय जब मजदूर सरकार द्वारा किए गए वायदे को पूरा करने की मांग कर रहे है, केंद्रीय मंत्री सी. एम. स्टीफन का बंगलौर आना व उत्तेजना पैदा करने वाला वक्तव्य देना मजदूरों के जख्मों पर नमक छिड़कने के समान है व इससे वे मजदूरों की सहानुभूति को पूरे तौर पर गंवा बैठे हैं".

बंगलौर में 11 जनवरी को आयोजित किए गए ट्रेड यूनियन कनवेंशन ने इन 1 लाख 25 हजार मजदूरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को पूरा समर्थन देते हुए सी. एम. स्टीफन व केंद्रीय सरकार के रवैये की निंदा की. कनवेंशन ने शहर के मजदूरों, कर्मचारियों, दुकानदारों आदि का आह्वान किया कि वे इन कर्मचारियों की जायज मांगों के समर्थन में 21 जनवरी को 'बंगलौर बंद' आयोजित करें. इस दिन शहर में दुकानें, रेस्टोरेंट, सिनेमा, बैंक, व्यापारिक संस्थान व शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहीं. सामान्य जीवन ठप्प हो गया. बंद पूरा व शांतिपूर्ण था. किंतु हिंदुस्तान एरोनौटिक्स क्षेत्र में पुलिस ने मजदूरों व छात्रों पर अभूतपूर्व दमन किया. मौके पर उपलब्ध कुछ प्रेस रिपोर्टरों के अनुसार पहले पुलिस ने शांतिपूर्ण मजदूरों पर पथराव किया जिसके फलस्वरूप अन्य लोगों के अलावा दो पत्रकार भी घायल हो गए. बाद में गोली चलाई गई. छात्र बस भाड़े में वृद्धि का विरोध कर रहे थे.

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 23 जनवरी को दिए अपने वक्तव्य मे पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की निंदा की है जिसके फलस्वरूप कई जानें गई. बंगलौर के मजदूर वर्ग को उनके समर्थन के लिए मुबारकबाद देते हुए बी. टी. आर. ने उनसे अपील की कि वे अपनी एकता बनाए रखें. उन्होंने सभी ट्रेड यूनियन संगठनों से भी कहा कि वे सरकार को अपनी जन-विरोधी नीतियां बदलने को मजबूर करें.

इस वहशियाना दमन का विरोध करने के लिए मजदूरों ने 25 जनवरी को 'काला दिवस' के रूप में मनाया व इस दिन काले बिल्ले लगाए. इसी दिन नई दिल्ली में सीटू, एटक, एच. एम.एस. व बी. एम. एस. ने एक संयुक्त बयान

[शेष पृष्ठ सतरह पर]

बैंक कर्मचारी फेडरेशन, पश्चिम बंगाल : एक जुझारू संगठन बना

बैंक कर्मचारियों द्वारा ए.आई.बी.ई.ए. नेतृत्व की नीतियों के खिलाफ विद्रोह

आल इंडिया बैंक एम्पलाईज एसोसियेशन की बैंक मालिकों से मिलीभगत, वेतन, आर्थिक मुद्दों, काम के घटे, नौकरी की सुरक्षा आदि मसलों पर कर्मचारियों के हितों की चौकसी में आनाकानी तथा बैंक कर्मचारियों की एकता में रोड़े अटकने वाली नीतियों के विरोध में पश्चिम बगाल राज्य के बैंक मर्मचारियों ने 28 सितंबर 1980 को कलकत्ता में एक विशाल सम्मेलन किया. सम्मेलन में 1960 के दशक के मध्य से ए. आई. बी. ई. ए. के नेताओं की व्यक्तिगत ईमानदारी व काम करने के तरीकों में निरंतर गिरावट आ जाने से बैंक कर्मचारी आंदोलन में होने वाले नुक्सान पर विशेष चर्चा हुई. इस पतन का एक उदाहरण है इन नेताओं द्वारा सरकार व बैंक मालिकों के गठजोड़ के आगे घुटने टेक देना व इस उद्योग में 1979 का कर्मचारी विरोधी द्विपक्षीय समझौता करना.

ए. आई. बी. ई. ए. नेतृत्व : शर्मनाक सहयोग

1966 के पहले द्विपक्षीय समझौते में ए. आई. बी. ई. ए. के नेताओं ने कुछ आर्थिक लाभों के बदले सघन मशीनीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी. इसी प्रकार तीसरे समझौते में ए. आई. बी ई. ए. के नेताओं ने बिना किसी विरोध के महंगाई निराकरण दर में कमी तथा इसके तहत मिलने वाली राशि की उच्चतम सीमा निर्धारण को मान लिया, इसके अतिरिक्त काम के घंटे बढ़ाए जाने, मशीनीकरण व कम्प्यूट्राइजेशन की प्रक्रिया को तेज किए जाने, आनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने तथा अन्य कई कर्मचारी-विरोधी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया. वर्ग सहयोग करने वाले इन कदमों के साथ-साथ इन नेताओं ने बैंक कर्मचारियों के एकजुट संघर्षों व आंदोलनों के विकसित होने में दिक्कतें पैदा कीं. इस ए. आई. बी. ई. ए. के इन नेताओं ने इमर्जेंसी शासन व उससे पैदा होने वाले जनता-विरोधी व कर्मचारी-विरोधी कदमों को अपना सहयोग दिया.

खुली सांठगांठ

संगठन के भीतर भी काम करने के सभी जनतांत्रिक तरीकों को ताक पर रख दिया गया. आम बैंक कर्मचारियों को विश्वास में लेकर निर्णय लिए जाने के बदले उच्च स्तर से आदेश दिए जाने लगे. यदि इन आदेशों का कोई विरोध करता तो उसे संगठन से निकाल बाहर करने की धमकियां दी जातीं तथा मैनेजमैंट से सांठगांठ करके विरोधियों व आलोचकों को शांत करने के प्रयत्न किए जाते. इस प्रकार संगठन को पूरी तरह से एक गिरोह के अधीन करने के प्रयत्न किए जाते रहे. अपनी वर्किंग कमेटी के निर्णय के बावजूद बी. पी. बी. इ. ए. (ए. आई बी. ई. ए. की पश्चिम बंगाल शाखा) ने तीन वर्ष तक कोई सम्मेलन नहीं बुलाया. बी. पी. बी. ई. ए. के महासचिव ने 16 यूनिटों व 4 पदाधिकारियों को इस तथाकथित अपराध के कारण संगठन से निकाल दिया कि उन्होंने सम्मेलन बुलाए जाने के लिए लिखे गए पत्र पर हस्ताक्षर किए थे.

पृष्ठभूमि

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए, उन्हें सही वर्ग दृष्टिकोण पर गोलबंद करने के लिए तथा कर्मचारियों व मजदूरों को एक विशाल मंच पर एकजुट करने की दिशा में प्रयत्न करने के लिए बैंक कर्मचारियों का एक राज्यव्यापी विशाल सम्मेलन बुलाया जाए जिसमें पश्चिम बगाल के बैंक कर्मचारियों ने एक नए संगठन का सूत्रपात किया जाए. इस उद्देश्य से एक तैयारी कमेटी का गठन किया गया जिसे उक्त सम्मेलन को आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई.

फूट के खिलाफ एकता

इस समझ के तहत 16 से 18 जनवरी तक कलकत्त में पश्चिम बंगाल के बैंक कर्मचारियों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया. बैंक कर्मचारियों ने अभूतपूर्ण उत्साह व खुशी से इसमें भाग लिया. इस सम्मेलन में पश्चिम बंगाल की बैंक एम्पलाईज फेडरेशन का गठन हुआ जो राज्य के बैंक कर्मचारियों की उमगों का प्रतीक होगा, जो ए. आई. बी. ई. ए. के नेताओं की गद्दारी के खिलाफ उनके गुस्से का केंद्र होगा और जो सरकार-बैंक मालिकों के गठजोड़ के खिलाफ उनके संघर्ष का हथियार होगा.

सुबोध मलिक स्क्वायर में 16 जनवरी को हुए खुले सम्मेलन में 12 हजार बैंक कर्मचारियों ने भाग लिया. इससे पहले एक रगारंग जुलूस निकाला गया जिसमें संघर्ष व एकता के नारे गूंजते रहे. जलसे की अध्यक्षता ए. आई. बी. ई. ए. के एक संस्थापक परिमल दास ने की.

तैयारी कमेटी के संयोजक नरेश पाल ने विस्तार से उस पृष्ठभूमि की चर्चा की जिसके कारण यह सम्मेलन आयोजित किया गया.

एकता व संघर्ष

खुले अधिवेशन को संबोधित करते हुए सीटू के उपाध्यक्ष व पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कहा कि संघर्ष के लिए एकता की जरूरत है. क्योंकि ए. आई. बी. ई. ए. के नेतृत्व ने संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया इसलिए इस नए संगठन को बनाना पड़ा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया की हर उस समाज में जो शोषक व शोषितों में बंटा हुआ है संघर्ष का होना लाजमी है. बैंक कर्मचारियों को भी यह समझ लेना चाहिए कि बिना संघर्ष के वे न तो एकता स्थापित करने में सफल हो पायेंगे और न ही अपनी जायज मांगों को मनवा पायेंगे. उन्होंने देश के शासक वर्ग द्वारा आम आदमी के जीवन व जीवन-स्तर पर हो रहे हमलों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आज के संदर्भ में जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग को बढ़ाने की जरूरत है, बैंक कर्मचारियों को गांव के गरीब तबकों की सेवा करके अपनी अहम भूमिका निभानी है. इस सम्मेलन में स्वागत कमेटी के अध्यक्ष संसद सदस्य सोमनाथ चटर्जी ने भी भाषण दिया.

सीटू सचिव एम. के पंधे ने पिछले तीन वर्ष में होने वाले कई समझौतों का हवाला दिया जो यह दर्शाते हैं कि ए. आई. बी. ई. ए. ने किस तरह आत्म-समर्पण व वर्ग-सहयोग की नीतियां अपनायी हैं. सम्मेलन में 12 जुलाई कमेटी के द्विपेन घोष, आल इंडिया इंशोरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर बोस तथा वैस्ट बंगाल न्यूजपेपर एम्पलाईज एसोसियेशन के आद्यनाथ भट्टाचार्य ने भी भाषण दिए व अपने संगठनों की ओर से इसकी सफलता की शुभ कामना की.

17 व 18 जनवरी को होने वाले डेलिगेट सैशन में राज्य के 25 हजार कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1,025 डेलिगेटों तथा अन्य राज्यों से आए हुए 165 बिरादराना डेलिगेटों ने भाग लिया. यह सैशन 17 जनवरी को शहीदों, विशेषकर ए. आई. बी. ई. ए. के संस्थापकों में प्रमुख कामरेड सुधीन बिश्वास के असामयिक निधन, को श्रद्धांजलि देने के बाद आरंभ हुआ.

एकजुट संघर्षों की लहर

डेलीगेट सैशन का उद्घाटन करते हुए पश्चिम बगाल के श्रममत्री कृष्णपद घोष ने बताया कि ऐसे समय जबकि बैंक कर्मचारियों के आंदोलन में शिथिलता आ गई है व संघर्ष की भावना को ताक पर रख दिया गया है यह जरूरी हो गया है कि इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष व एकता के सिद्धांत को अमल में लाया जाए. उन्होंने याद दिलाया कि 1966 में भी कई यूनियनों को एटक कानफ्रेंस में भाग नहीं लेने दिया गया किंतु इससे संघर्षों की लहर न रुक पाई. इसी प्रकार यह कहना भी गलत होगा कि आंदोलन में विभाजन राजनीतिक कारणों से हो रहा है. सीटू के बनने के बाद मजदूर वर्ग विभाजित नहीं हुआ बलिक इससे एकजुट संघर्षों का और विकास हुआ.

तार द्वारा भेजे गए अपने संदेश में सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने सम्मेलन की सफलता की कामना की व आशा की कि धीरे-धीरे यह बैंक कर्मचारियों का एक जुझारू संगठन बन जाएगा. असम, बिहार, यू. पी., आंध्र प्रदेश, दिल्ली व त्रिपुरा के बिरादराना डेलिगेटों ने भी सम्मेलन की सफलता की कामना की.

रिपोर्ट

तैयारी कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवादियों की घृणित भूमिका, भारत सरकार की जन-विरोधी व दमनकारी नीतियों, पश्चिम बंगाल, केरल व त्रिपुरा की सरकारों द्वारा उठाए गए जनप्रिय कदमों, ए. आई. बी. ई. ए. के नेतृत्त्र व वर्तमान सम्मेलन आयोजित करने वाले नेताओं द्वारा बैंक कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति अपनाए जाने वाले विरोधी रुखों, मशीनीकरण, कंम्प्यूट्राइजेशन आदि के माध्यम से बैंक मालिकों द्वारा कर्मचारियों पर हमले तथा 'कस्टूमर सर्विस' व अनुशासन के नाम पर उनको दबाने के प्रयत्नों आदि की विस्तार से चर्चा की गई. इसमें राष्ट्रीय एकता को खंडित करने के कुछ निहित स्वार्थों द्वारा किए गए प्रयत्नों की भी निंदा की गई. रिपोर्ट में एकजुट संघर्ष व आंदोलन की जरूरत पर बल दिया गया. संगठन पर मुख्य प्रस्ताव नरेश पाल ने प्रस्तुत किया. इस पर होने वाली बहस में 44 डेलीगेटों ने भाग लिया.

सम्मेलन के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अध्यक्ष-मंडल का गठन किया गया जिसके सदस्य थे—परिमल दास, आर. एल. नागर, बीरेन सेन, मनोज बोस व चित्त बनर्जी. इसी प्रकार एक स्टीयरिंग कमेटी भी गठित की गई जिसके सदस्य बने—नरेश पाल, आशीष सेन, एस. बर्धन, एस. बाल, बाल कृष्ण सेठी, काशीनाथ चटर्जी, नरेश दास व अमीत्य राय.

'बैंक प्रबंधकों द्वारा हमले' नाम से एक प्रस्ताव आशीष सेन ने प्रस्तुत किया. एक संविधान भी बनाया गया जिसके तहत जनतांत्रिक तरीकों से काम करने व द्विवार्षिक चुनाव करवाने का निश्चय किया गया. प्रस्ताव व संविधान के प्रारूप को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया. एक मजबूत कार्यकारिणी का भी गठन किया गया जिसके अध्यक्ष नरेश पाल, उपाध्यक्ष केशव सेन, अनिल दत्ता व काशी नाथ चटर्जी, महासचिव नरेश दास, सहसचिव शांति बल, शांति बर्धन, सुविनय राय व समीर दास गुप्ता, कोषाध्यक्ष अमलेंदु सेन व उप-कोषाध्यक्ष प्रदीप बिस्वास निर्विरोध चुने गए.

महत्वपूर्ण कदम

कर्मचारियों के हित में काम करने का यह तकाजा है कि कर्मचारियों का अल्पसंख्यक भाग भी यह महसूस करे कि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा तो बहुसंख्यक भाग को जनतांत्रिक तरीके अपनाकर शिकायतों को बातचीत व सुलह से हल करना चाहिए. ए. आई. बी. इ. ए. के खिलाफ विद्रोह का कारण उस नेतृत्व द्वारा संगठन के भीतर जनतांत्रिक तरीकों को तिलांजलि देना था. पश्चिम बंगाल बैंक एम्पलाईज फेडरेशन का गठन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस फेडरेशन का यह दृढ़ संकल्प है कि यह बैंक कर्मचारियों के हितों को रक्षा करने के लिए मजदूर वर्ग के एक अभिन्न अंग के रूप में काम करेगी व हर प्रयत्न करेगी कि ए. आई. बी. ई. ए. के नेतृत्व ने बैंक कर्मचारियों व उनके आंदोलन को जो नुकसान पहुंचाया है उसे जल्दी ही दूर कर दिया जाए. □

क्लोजर और पुलिस दमन खत्म करोः दिल्ली सीटू

सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी की बैठक 18 जनवरी को नई दिल्ली में हुई जिसमें ट्रेड यूनियन आंदोलन की वर्तमान समस्याओं और औद्योगिक संबंधों के बारे में विचार विमर्श किया गया।

एक प्रस्ताव के जरिये दिल्ली सीटू ने पेट्रोल, डीजल, और मिट्टी के तेल आदि की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि की कड़ी आलोचना की और यह बताया कि कीमत-वृद्धि जनता पर और बोझ लाद देगी. जनता को पहले ही आसमान छूती कीमतों का मुकाबला करना पड़ रहा है.

क्लोजर और मजदूर वर्ग आंदोलन पर हमलों पर प्रस्ताव में, दिल्ली में प्रबंधकों द्वारा औद्योगिक यूनिटों में बढ़ते हुए क्लोजरों पर भी रोष प्रकट किया गया. मालिकान द्वारा क्लोजर, मजदूरों को अपनी जायज मांगें हासिल न करने देने व ट्रेड यूनियन आंदोलन पर हमले करने के उद्देश्य से जानबूझकर किए जाते हैं. इस प्रकार के क्लोजर ओखला, वजीरपुर आदि औद्योगिक क्षेत्रों में आम बात हो गये हैं. नांगलोई के हिंदुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज के संबंध में जिसमें एक हजार से भी ज्यादा मजदूर काम करते हैं, पांच महीनों से वेतन नहीं दिया गया है और न ही उत्पादन के लिए उन्हें कोई सामान दिया गया है.

मजदूरों पर होने वाले इन सभी हमलों में, मजदूरों के दमन के खिलाफ मालिकान द्वारा दिल्ली पुलिस इस्तेमाल में लाई जा रही है और कोर्ट द्वारा मालिकान के पक्ष में दी जाने वाली एकतरफा निषेधाज्ञा से भी मजदूरों में असंतोष फैल रहा है.

दिल्ली सीटू के महासचिव सांसद सुशील भट्टाचार्य ने 19 जनवरी को एक बयान में कहा कि मालिकान द्वारा अपनाये गए क्लोजर, छंटनी और कानून तथा पुलिस की सहायता अपराधपूर्ण है और इसका मुकाबला ट्रेड यूनियन आंदोलन को एकजुट होकर करना होगा. उन्होंने क्लोजर के खात्मे और अन्य मजदूर वर्ग विरोधी कार्यवाहियों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है.

सड़क परिवहन मजदूर सम्मेलन की तैयारी

आल इंडिया रोड ट्रांस्पोर्ट वर्कर्ज फेडरेशन की वर्किंग कमेटी की बैठक 30 व 31 दिसंबर 1980 को मद्रास में हुई बैठक की अध्यक्षता वी.पी. चिंतन ने की.

बैठक में निर्णय किया गया कि सड़क परिवहन मजदूरों के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन अप्रैल 1980 के दूसरे सप्ताह में विजयवाड़ा में किया जाए. सम्मेलन से ठीक पहले फेडरेशन के पदाधिकारियों की बैठक होगी. प्रति 200 सदस्यों का प्रतिनिधित्व एक डेलिगेट करेगा व इसके बाद 100 से अधिक सदस्य होने पर एक डेलिगेट अतिरिक्त होगा.

सम्मेलन में प्रति डेलिगेट से 5 रु० डलिगेट फीस के रूप में लिया जायगा. विशेष सहायता देकर डेलिगेटों के लिए भोजन सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा अनुमानतः पूरे सम्मेलन के लिए डेलिगेटों से भोजनादि के लिए 20 रु० प्रति व्यक्ति लिए जाएंगे.

कमेटी ने अपनी सदस्य यूनियनों से अपील की है कि वे अपनी-अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट, सुझाव तथा मांगें ठीक समय पर भेज जिससे कि इन्हें सम्मेलन की रिपोर्ट में शामिल किया जा सके. सम्मेलन में अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन छेड़ने का कार्यक्रम तैयार किया जायेगा व साथ ही नई यूनियनों को फेडरेशन से संबद्ध करने पर विचार होगा.

कमेटी ने मजदूरों की फौरी समस्याओं तथा इनके प्रति सरकार के उदासीन रुख पर कई प्रस्ताव पास किए.

वर्किंग कमेटी ने सड़क परिवहन मजदूरों से अपील की कि वे अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए मजबूत आंदोलन छेड़ें.

शिक्षा शिविर........

[पृष्ठ चार से आगे]

मजदूर-छात्रों ने भाग लिया. रातों में मजदूर वर्ग आंदोलन व शिक्षा पर फिल्में दिखाई गयीं. इन स्कूलों में मजदूर-साथियों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई. सीटू का फरवरी में ऐसे ही कई और स्कूलों के आयोजन का विचार है.

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1980 सितं.	1980 अक्टू.	1980 नवंबर
बिहार			
जमशेदपुर	394	397	389
झारिया	382	386	392
कोडर्मा	422	427	430
मोंघाइर	443	448	444
नोआमुंडी	385	389	391
गुजरात			
अहमदाबाद	374	379	381
भाव नगर	410	418	420
हरियाणा			
यमुना नगर	429	436	445
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	410	415	427
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	417	414	419
भोपाल	406	410	410
ग्वालियर	427	432	430
इंदौर	428	422	428
महाराष्ट्र			
बंबई	391	400	402
नागपुर	395	401	405
शोलापुर	407	408	419
पंजाब			
अमृतसर	424	437	442
राजस्थान			
अजमेर	422	423	432
जयपुर	445	445	448
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	398	405	402
सहारनपुर	411	419	419
वाराणसी	461	467	470
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	412	421	428
कलकत्ता	396	393	397
दार्जीलिंग	337	350	352
हावड़ा	374	385	383
जलपाइगुरी	348	353	349
रानीगंज	400	408	414
दिल्ली	430	438	436
भारत	402	406	411

एकता के लिए कोशिशें जारी

एल आर एस ए सहित 11 कैटेगरी-वाइज संगठनों के 12 सदस्यीय दल की 9 और 10 जनवरी को हुई बैठक में यू सी आर (एन एफ रेलवे), जेड सी सी आर (एस ई रेलवे) और सी सी आर यू (दक्षिणी रेलवे) के संयोजक/सचिवों ने भाग लिया. बैठक में एकमत होकर रेल कर्मचारियों के सभी ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ रेल मजदूरों की मूल मांगों को हासिल करने के लिए एक व्यापक संभव एकता का निर्णय लिया गया. यह तय किया गया कि एकता के मुद्दे को संयुक्त संयोजक व्यक्तिगत तौर पर आगे बढ़ाएं. रेल मंत्री को 16 सूत्री मांग पत्र पर बातचीत के जरिये समझौता कराने के लिए एक संदेश पत्र भेजा जाएगा जिसकी प्रति श्रममंत्री को भी भेजी जाएगी. इसबीच रेलकर्मचारियों को एकजुट करने का कार्यक्रम, 15 मार्च को डिविजनल कनवेंशन और 8 मई को जोनल कनवेंशन के द्वारा जारी रहेगा. सभी क्षेत्रीय सचिवों को इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए खास प्रयत्न करने क निर्देश लिये गये.

रेलवे ट्रेड यूनियन नेता का कत्ल

लोको मैकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन आफ रोजा, उत्तरी रेलवे के छबिलाल ब्रांच सचिव का मान्यताप्राप्त फेडरेशन के एक सदस्य ने 6 जनवरी को कत्ल कर दिया जो केजुअल मजदूर को लगाने में भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई के ठीक एक दिन पहले हुआ था. कातिल घनश्याम ने अपनी गिरफ्तारी के बाद अपने जुर्म का इकबाल कर लिया. लेकिन संगठित श्रमिक यह समझते हैं कि इस कत्ल के पीछे कोई ठोस षड्यंत्र है और इसलिए सी बी आई द्वारा इसकी जांच की मांग की गई है.

लोको कर्मचारियों द्वारा संघर्ष की तैयारी

रेल मंत्रालय में परिवर्तन से लगता है कि काम के तरीकों व श्रम संबंधों की नीतियों में भी परिवर्तन आया है. एक ओर तो रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकार किए गए निर्णयों को लागू नहीं किया गया और तय की गई बैठकें भी नहीं हुई और दूसरी ओर काम के हालात में भी काफी हद तक परिवर्तन किया गया है. अमरीका जैसी 100 वैगन की मालगाड़ी जो एक मार्शलिंग याड से दूसरे यार्ड तक सीधे, बिना रुके चलती है को जारी किया जानेवाला है. इसके परिणामस्वरूप विशेष गाड़ी परीक्षण केंद्र और चालक व सहायक बदलने के केंद्रों को अनदेखा कर दिया जाएगा. इस प्रणाली को उपयोग में लाया गया तो कर्मचारियों का कार्यभार बढ़ेगा, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ेगा और लोको रनिंग स्टाफ सहित मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टाफ में कमी होगी और उन्हें दस घंटे से भी ज्यादा काम करना पड़ेगा यदि रेलगाड़ी मार्शलिंग यार्ड में इतने समय के अंदर भी नहीं पहुंच जाती. इसके खिलाफ किसी भी संघर्ष का 14 (ii) नियम के तहत विक्टिमाइजेशन द्वारा निर्दयता से दमन किया जाता है. आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की 8 जनवरी को हुई एक बैठक में राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों सहित सभी अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया जाए कि यदि स्थिति में परिवर्तन नहीं किया गया और बातचीत द्वारा समझौता कराने के लिए प्रयत्न नहीं किए गए तो लोको कर्मचारियों को 16 फरवरी से अपना सहयोग देना मजबूरन बंद करना पड़ेगा.

तलचेर रेलवे कालोनी की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार

तलचेर रेलवे कालोनी की तीन महिलाओं, जिनके परिवार के पुरुष सदस्य काम पर गए हुए थे, के साथ 9 जनवरी को बदतमीजीपूर्ण दुर्व्यवहार किया गया. तलचेर के मजदूरों ने इन समाज विरोधी तत्वों की गिरफ्तारी व उन्हें सजा देने की मांग करते हुए काम बंद कर दिया जिसके फलस्वरूप उनमें से कुछ एक को गिरफ्तार किया गया. लेकिन रेलवे अधिकारियों ने संघर्ष का नेतृत्व करने वाले 10 मजदूरों को विक्टिमाइज कर दिया. इस गैरकानूनी विक्टिमाइजेशन और संतरागाची में इसी प्रकार के विक्टिमाइजेशन को, पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने के बावजूद भी खत्म नहीं करने से, एस ई रेलवे के लोको कर्मचारियों को मजबूरन 21 जनवरी से सामूहिक बीमारी अवकाश आंदोलन का रुख अख्तयार करना पड़ा. पूर्वी रेलवे, एन एफ रेलवे, उत्तरी रेलवे और दक्षिणी रेलवे में सामूहिक तौर से विक्टिमाइजेशन करने से, यदि तुरंत समझौता नहीं किया जाता, हालात बदतर होंगे. सांसद समर मुखर्जी ने उप-रेलमंत्री को स्थिति से अवगत कराया है.

बैठक व सम्मेलन

कोआर्डिनेशन कमेटी आफ रेलवेमैन यूनियंस (सी सी आर यू), दक्षिणी रेलवे, में जो मतभेद थे उन्हें 4 जनवरी को हुई एक बैठक में हल किया गया और डी आर ई यू के पी.वी. राम दास और स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के एन. के. पिल्ले संयुक्त संयोजक चुने गये. यह भी तय किया गया कि सी सी आर यू 12 सदस्यीय दल के एकता के प्रयासों में भी भाग लेगी और व्यापक एकता के लिए कोशिश करेगी.

एन एफ रेलवे एल आर एस ए का वार्षिक सम्मेलन 28 से 30 दिसंबर को सिलिगुड़ी में हुआ जिसका उद्घाटन सांसद समर मुखर्जी ने किया. खुले अधिवेशन को महासचिव एस. के. धर ने संबोधित किया.

यू सी आर-बदरपुर ब्रांच की तीसरी वार्षिक कानफ्रेंस 11 जनवरी को हुई जिसका उद्घाटन विधानसभा सदस्य नुरुल हुडा ने किया और खुले अधिवेशन

[शेष पृष्ठ सतरह पर]

पंजाब के राज्य सरकार के कर्मचारियों पर दमन की सीटू द्वारा निंदा

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 10 जनवरी को निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया :

सीटू राज्य सरकार कर्मचारी यूनियन के 10 पदाधिकारियों को निलंबित करने की पंजाब सरकार की कार्रवाई की भर्त्सना करती है· यूनियन के दो पदाधिकारियों को पहले निलंबित किया गया था जिसके विरोध में ये कर्मचारी "कलम रोको" हड़ताल पर थे. वेतनमान की अनियमितताओं को दूर करने की मांग पर पंजाब राज्य सरकार के कर्मचारी काफी समय से आंदोलन करते आ रहे हैं. इन समस्याओं को हल करने में सरकार के टालमटोल के रवैये से मजबूर होकर कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा. यूनियन पदाधिकारियों का यह निलंबन सरकार की मजदूरों और वेतनभोगी कर्मचारियों के सभी आंदोलनों को कुचलने की कोशिश का हिस्सा है. सरकार की यह कार्रवाई, "संगठन बनाने" और "सामूहिक सौदे" के बुनियादी अधिकार पर हमला है· मुख्य सचिव का यह कहना कि जब तक संघर्ष वापस नहीं ले लिया जाता, कोई समझौता वार्ता नहीं होगी, शासक वर्ग की उसी तानाशाही प्रवृत्ति का परिचायक है जो एक बार फिर अपना रंग दिखाने लगी है.

सीटू पंजाब राज्य सरकार के कर्मचारियों से अपील करती है कि वे अपनी पांतों में एकता बनाये रखें और अपने संघर्ष के समर्थन में जनता के दूसरे जनवादी हिस्सों को हरकत में लायें· सीटू तमाम ट्रेड यूनियन केंद्रों और मेहनतकश जनता के जनवादी संगठनों से भी अपील करती है कि वे अपनी आवाज बुलंद करके पंजाब सरकार को इस बात के लिए मजबूर करें कि वह दमनात्मक कार्रवाईयां वापस ले और राज्य सरकार के कर्मचारियों की जायज मांगों के निपटारे के लिए समझौता वार्ता शुरू करे. □

अंडेमान में एम.ई.एस. के मजदूरों की गंभीर हालत

सी. डब्ल्यू. ई. (पी.), पोर्ट ब्लेयर के तहत मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (एम ई एस), पोर्ट ब्लेयर के मजदूर व कर्मचारी अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों व अन्य मांगों के लिए संघर्षरत हैं.

एम ई एस सिविलियन एंप्लाईज यूनियन का पंजीकरण, स्थानीय प्रबंधकों द्वारा की गई आपत्ति के बाद, ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार द्वारा रद्द कर दिया गया था. सारे देश में एम ई एस कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन अधिकार प्रदान किए गए हैं लेकिन अंडेमान के मजदूरों को बिना किसी वजह के इन अधिकारों से वंचित रखा गया है. अधिकारियों ने इन मजदूरों पर आर्मी एक्ट थोप दिया है जो पूर्णतः गैरकानूनी है क्योंकि ये मजदूर पूरी तरह सिविलियन हैं. यह बात ध्यान देने योग्य है कि अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह में इसी प्रकार के उद्योगों के मजदूरों को यूनियन बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है जैसे नेवल बेस के सिविलियन कर्मचारियों की पंजीकृत यूनियन है और इन्हें जे. सी. एम. में प्रतिनिधित्व भी प्राप्त है.

एम ई एस में मजदूरों को मजदूरों के रूप में भर्ती किया गया था और सेंट्रल पे कमीशन के नियमों के आधार पर वेतन देने का आश्वासन दिया गया था लेकिन अंडेमान पहुंचते ही उन्हें दूसरा वेतन समझौता स्वीकार करने पर बाध्य किया गया जो अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह में लागू था.

यहां पर मजदूरों के हालात गंभीर हैं और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं. मजदूर यह मांग करते रहे हैं कि उन्हें अंडेमान विशेष भत्ता दिया जाए.

मजदूरों के लिए मकान की सुविधाएं अपर्याप्त व असंतोषजनक हैं. जिन मजदूरों को ये सुविधाएं नही मिली हैं उन्हें मकान किराया भत्ता नही दिया जाता है, हालांकि पहले यह भत्ता दिया जाता था लेकिन एक विशेष आदेश के जरिए बिना किसी वजह के यह भत्ता रद्द कर दिया गया था. नौकरी से निवृत्त होने वाले मजदूरों को लंबे अर्से तक निवृत्ति व टर्मीनल सुविधाएं मिलने का इंतजार करना पड़ता है. बहुत से कर्मचारी जो सेवा-निवृत्ति के बाद मुख्यभूमि पर आ जाते हैं. उनके लिए द्वीप समूह में फिर से आकर टर्मीनल सुविधाएं हासिल करना कठिन होता है.

ये मजदूर, जो अधिकारियों द्वारा टास्क फोर्स के रूप में भर्ती किए गए थे, कई सालों तक प्रशासन के अंतर्गत काम करते रहे. लेकिन टास्क फोर्स में कई साल की सेवा को पदोन्नति, बढ़ोतरी आदि के लिए नही गिना जाता. इस बारे में कोई सही नीति भी अभी तक तय नही की गई है.

जब कभी मजदूर द्वीप समूह से बाहर जाते हैं तब वापसी में उनको मजबूरन कलकत्ता में रूकना पड़ता है क्योंकि जहाज की सुविधाएं अपर्याप्त हैं, इसप्रकार मजबूर होकर रूकने से मजदूरों को बहुत असुविधाएं होती हैं. उन्हें किसी प्रकार का दैनिक भत्ता भी नहीं प्राप्त होता. अपर्याप्त मकान सुविधाओं की वजह से कर्मचारियों को अपने साथ अंडेमान में बच्चे पढ़ाने के लिए लाना नामुमकिन होता है. इसलिए बच्चों को मुख्यभूमि में ही रखना पड़ता है. इसके लिए कर्मचारियों को शिक्षा-भत्ता भी नहीं दिया जाता.

इन कर्मचारियों को पदोन्नति की पर्याप्त सुविधाएं भी नही हैं यह समझा जाता है कि स्थानीय अधिकारियों ने मजदूरों की कुछ मांगों पर अपनी सिफारिशें उच्चस्तरीय अधिकारियों तक पहुंचाई हैं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है. मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में कई कदम उठाए. 22 दिसंबर को टूल डाउन हड़ताल आयोजित की गई और 12 दिसंबर से दो मजदूरों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की. □

हरियाणा सीटू की बैठक

सीटू की हरियाणा राज्य कमेटी की 3 जनवरी को एक बैठक हुई. इसमें, वर्तमान राजनैतिक हालात और कुछ संगठनात्मक प्रश्नों के बारे में विचार-विमर्श किया गया.

कमेटी में, एक ट्रेड यूनियन स्कूल आयोजित करने का निर्णय लिया गया. इसने, हरियाणा के मजदूरों पर हो रहे पुलिस दमन को, प्रकाशित करने के उद्देश्य से रिपोर्ट एकत्रित करने के लिए कई साथियों को जिम्मेदारी सौंपी. कमेटी ने, भिवानी के मजदूरों के घरने के कार्यक्रम को समर्थन देने का निश्चय किया है.

कमेटी की एक अन्य बैठक 23 जनवरी को हुई. बैठक में, उस क्षेत्र में सीटू की कार्यवाहियों का ब्योरा दिया गया. 22 फरवरी को फरीदाबाद में एक संयुक्त ट्रेड यूनियन कनवेंशन आयोजित किया जाएगा जिसमें एक मांगपत्र और आगे की ट्रेड यूनियन कार्यवाहियों को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा. कनवेंशन में, अप्रैल में, विधान सभा के सामने एक संयुक्त प्रदर्शन आयोजित करने की संभावना पर भी विचार किया गया.

कमेटी ने, हिसार में इंदरजीत सिंह की गिरफ्तारी, कुरुक्षेत्र के विद्यार्थियों पर लाठी-चार्ज, चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों पर लाठी-चार्ज और आंसू गैस छोड़ने तथा उपभोक्ता कीमत सूचकांक में धोखाधड़ी आदि के खिलाफ, कई प्रस्ताव अपनाए.

सीटू सचिव एम. के. पंध ने इन दोनों बैठकों में भाग लिया. □

उड़ीसा सीटू की बैठक

सीटू की उड़ीसा राज्य कमेटी की पुरी में 11 जनवरी को एक बैठक हुई. राज्य कमेटी के अध्यक्ष शिवाजी पाटनायक ने इसकी अध्यक्षता की.

राज्य कमेटी के महासचिव अजेया राउत ने अपनी रिपोर्ट में पिछली बैठक के बाद की प्रगति का ब्योरा दिया. रिपोर्ट पर बातचीत करते हुए कामरेडों ने बताया कि हाल ही में विद्यार्थियों द्वारा आयोजित व अन्य जन संगठनों द्वारा समर्थित उड़ीसा बंद में सीटू यूनियनों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. सीटू यूनियनों को सरकार के दमनात्मक रवैये का भी सामना करना पड़ रहा है. कई सीटू कार्यकर्त्ताओं को प्रबंधकों द्वारा विक्टिमाइज भी किया गया है. खदान क्षेत्रों में सीटू का प्रभाव बढ़ रहा है.

बैठक में, विद्युत उद्योग में हुई प्रगति का ब्योरा दिया गया और विद्युत उद्योग के मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए मजदूरों की एक बैठक बुलाने का निर्णय भी लिया गया.

सीटू सचिव एम. के. पंधे ने सीटू केंद्र की ओर से बैठक में भाग लिया. □

इस्पात मंत्रालय की श्रम नीतियों की ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा आलोचना

नेशनल ज्वाइंट कमेटी फार दी स्टील इंडस्ट्री (एन जे सी एस) की एक विशेष बैठक 14 जनवरी को नई दिल्ली में इस्पात मंत्री प्रनब मुखर्जी द्वारा बुलाई गई जिसमें ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने सरकार व इस्पात प्रबंधकों द्वारा इस्पात मजदूरों के प्रति कठोर रवैये की कड़ी आलोचना की.

मजदूरों के प्रतिनिधियों ने, इस्पात मंत्री द्वारा लगभग एक साल से कार्यालय संभालने के बावजूद भी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से मिलने में असमर्थता दर्शाने पर अपना रोष जाहिर किया. उन्होंने बताया कि इस्पात उद्योग में ट्रेड यूनियनों को इस्पात उद्योग की छटी योजना तैयार करने से पहले विश्वास में नहीं लाया गया.

इस्पात उद्योग में हुए द्विपक्षीय समझौते की कई शर्तों को असंतोषजनक तरीके से लागू किए जाने की ओर भी उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया. एस ए आई एल प्रबंधकों की नियमित और निरन्तर होने वाले कार्यों में अभी भी ठेका मजदूरों को लगाने की खासतौर से कड़ी आलोचना की गई.

इस्पात मजदूरों के लिए मकान बनाने के काम में धीमी प्रगति की आलोचना की गई और समझौते के खत्म होने से पहले निर्माण काम को खत्म करने के लिए फौरी कदम उठाने की मांग की गई. मजदूरों के प्रतिनिधियों ने, विस्तार कार्यक्रम के बावजूद भी इस्पात उद्योग में अपर्याप्त उन्नति व विकास अवसरों की घोर आलोचना की.

भूतपूर्व इस्पात मंत्री द्वारा गठित छः ग्रुप रिपोर्टों को लागू न करने के प्रश्न पर भी मजदूरों के प्रतिनिधियों द्वारा कड़ी आलोचना की गई.

कुछ स्टील प्लांटों में असामान्य औद्योगिक संबंध होने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रबंधकों पर है क्योंकि वे मजदूरों की जायज शिकायतों के प्रति उदासीन रहते हैं. मजदूरों के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि एन. जे सी एस की बैठकें केवल औपचारिक बात हो गई हैं और एन जे सी एस की इन कई बैठकों के बावजूद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकालने से मजदूरों में घोर असंतोष फैल गया है.

इस्पात उत्पादन में कालाबाजारी का प्रश्न भी ट्रेड यूनियनों द्वारा उठाया गया और वितरण प्रणाली में भारी सुधार करने की मांग की गई.

दुर्गापुर और अलाय स्टील प्लांटों के विस्तार की आवश्यकता पर भी मजदूरों के प्रतिनिधियों ने जोर दिया और इस संबंध में जल्दी ही निर्णय लेने की मांग की है.

इस्पात मंत्री ने मजदूरों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है. मंत्री ने कभी-कभी, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों से मिलकर व उनके सुझाव और आलोचनाओं को सुनने पर भी अपनी सहमति प्रकट की. □

सीटू मजदूर

सी आइ टी यू का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की दर — पचास पैसे

वार्षिक चंदा — छः रुपये

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड, नयी-दिल्ली.

पश्चिम बंगाल के केंद्रीय सरकार कर्मचारियों ने अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया

आल इंडिया कनफेडरेशन आफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर्कर्स एंड एंप्लाईज के आह्वान पर, समूचे पश्चिम बंगाल के केंद्रीय सरकार कर्मचारियों ने पश्चिम बंगाल कोआर्डिनेशन कमेटी के नेतृत्व में, अपने-अपने कार्यालयों के बाहर 20 जनवरी को अपनी 6सूत्री मांगों के लिए आम घरना और प्रदर्शन आयोजित किए. यह घरना 10 बजे से 5 बजे तक किया गया और खाने के समय प्रदर्शन और दफ्तर का समय खत्म होने के बाद रैलियों के रूप में आयोजित किया गया. केवल कलकत्ता में ही, अलग-अलग दफ्तरों में पांच हजार से भी ज्यादा कर्मचारियों ने घरने में भाग लिया. केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के नेताओं ने आम रैलियों को संबोधित किया और मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पास किए जो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को भेजे गए.

नेशनल फेडरेशन आफ पी. एंड टी. एंप्लाईज और कनफेडरेशन आफ सट्रल गवर्नमेंट एंप्लाईज के आह्वान पर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह के पी. एंड टी. कर्मचारियों ने इसी दिन बड़ी तादाद में अपने-अपने दफ्तरों के बाहर आम घरना तथा प्रदर्शनों में भाग लिया. केंद्रीय सरकार कर्मचारियों की 6 सूत्री मांगों के साथ-साथ ये कर्मचारी अपनी मांगों-कार्य अवधि में कम से कम दो पदोन्नति, और पांच दिन का बोनस तथा जनता की सुविधा के लिए उचित डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को नियुक्त करने आदि का समर्थन कर रहे थे. सभी बड़े डाकघरों के बाहर आयोजित घरने में मांगों के समर्थन में प्रस्ताव स्वीकार किए गए जो प्रधानमंत्री और संचार मंत्री को भेजे गए.

जीवन-बीमा कर्मचारियों ने मांग दिवस मनाया

आल इंडिया इंशोरेंस एंप्लाईज एसोसिएशन के आह्वान पर पश्चिम बंगाल के जीवन बीमा कर्मचारियों ने 20 जनवरी को मांग दिवस मनाया. कलकत्ता में, कर्मचारियों ने इंडियन एसोसिएशन हाल में एकत्रित होने के लिए जहां दोपहर में एक मीटिंग हुई, प्रमुख मार्गों से जुलूस निकाले. मीटिंग को संबोधित करते हुए बीमा कर्मचारियों के नेता सरोज चौधरी ने, अधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जीवन बीमा कर्मचारियों की कार्य-स्थिति तथा बोनस के निर्णय से पीछे हटने की ओर ध्यान आकर्षित कराया. उन्होंने, अधिकारियों को चुनौती दी कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू नहीं किया गया तो बीमा कर्मचारियों को मजबूरन एक जबरदस्त आंदोलन करना पड़ेगा. बीमा कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में रिजर्व बैंक, जनरल इंशोरेंस कार्पोरेशन तथा राज्य व केंद्र सरकार कर्मचारियों के संगठनों के नेताओं ने भी मीटिंग में भाषण दिए.

इंजीनियरिंग मजदूरों द्वारा 11 फरवरी को जन प्रदर्शन व रैलियां

पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग फैक्ट्रियों के मजदूर व कर्मचारी, कलकत्ता में इंजीनियरिंग एंप्लायर्स एसोसिएशन के बाहर बंद और "बीमार" फैक्ट्रियों को फिर से खोलने आदि की मांगों के लिए 11 फरवरी को जन रैली तथा प्रदर्शन आयोजित करेंगे. पश्चिम बंगाल फेडरेशन आफ मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन (सीटू) की पहलकदमी पर 17 जनवरी को इंडियन एसोसिएशन हाल में इंजीनियरिंग फैक्ट्रियों के मजदूरों की एक सौ से ज्यादा यूनियनों के प्रतिनिधियों के एक विशेष सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया. सम्मेलन में 300 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया और फेडरेशन के अध्यक्ष रबीन मुखर्जी ने इसकी अध्यक्षता की.

फेडरेशन के महासचिव शांति घटक ने मुख्य प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने इसकी ओर ध्यान दिलाया कि राज्य में 19 फैक्ट्रियों में क्लोजर; तीन फैक्ट्रियों में तालाबंदी तथा 12 फैक्ट्रियां 'बीमार' होने की वजह से बंद पड़ी होने के कारण 25 हजार से भी ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं. अनेक फैक्ट्रियां तो प्रबंधकों की अक्षमता और ढुलमुलपन के कारण तथा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार तथा मालिकान द्वारा जबरदस्त मुनाफाखोरी के कारण ही कमजोर बन गई हैं. कुछ फैक्ट्रियों में मालिकान द्वारा गैर-कानूनी ढंग से तालाबंदी और क्लोजर घोषित किए गए और मजदूरों के बकाया वेतन, ई.एस.आई. और प्रोविडेंट फंड का पैसा, ग्रेच्युटि आदि मालिकान द्वारा हड़प कर लिए गए हैं.

पश्चिम बंगाल सीटू के महासचिव मनोरंजन राय, फेडरेशन के अध्यक्ष रबिन मुखर्जी, जय इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष बिमल चटर्जी सहित कई अन्य नेताओं और प्रतिनिधियों ने सम्मेलन को संबोधित किया.

सम्मेलन में, राज्य के इंजीनियरिंग फक्ट्रियों के मजदूर व कर्मचारियों को बीमार तथा बंद फैक्ट्रियों के बेरोजगार मजदूरों के समर्थन में 11 फरवरी को बड़ी तादात में इकट्ठा होकर, जन प्रदर्शन तथा रैली को सफल करने का आह्वान किया गया. विभिन्न उद्योगों के मजदूरों तथा कर्मचारियों से, बंद व बीमार फैक्ट्रियों के बेरोजगार मजदूर व कर्मचारियों की सहायता के लिए खुले दिल से अनुदान देने की भी अपील की गई.

यूनियन कारबाइड़ फैक्ट्री में तालाबंदी

अमरीका की बहुराष्ट्रीय कंपनी से संबंधित तारातला की यूनियन कारबाइड़ फैक्ट्री के लगभग 350 मजदूर व कर्मचारी कार्य-भार तथा काम के घंटों में

कमी, दर्जे और स्तरों में संशोधन करने आदि की अपनी मांगों के लिए कुछ समय से संघर्षरत थे. प्रबंधकों ने मजदूरों के आंदोलन को दबाने के लिए चार्ज-शीट, मुअत्तिली तथा छंटनी और उत्पादन में गिरावट के बहाने दिसंबर के वेतन में 33 प्रतिशत कटौती आदि गैरकानूनी तरीकों को अपनाना शुरु किया. जब ये सब तरीके असफल रहे तो प्रबंधकों ने फैक्ट्री में अचानक तालाबंदी घोषित कर दी.

उसी दिन, मुख्यालय यूनियन, कलकत्ता यूनियन तथा विभिन्न यूनिटों से संबंधित अन्य यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग हुई जिसमें तालाबंदी तथा विक्टिमाइजेशन का तुरंत खात्मा और मजदूरों की जायज मांगों को हल करने की मांग उठाई गई. विभिन्न फैक्ट्री गेटों पर मीटिंगे तथा 22 जनवरी को आयोजित किए गए कनवेंशन जबरदस्त सफल रहे.

आई. टी. सी. मजदूरों की 5 फरवरी को अखिल भारतीय हड़ताल

इंडियन टोबेको कंपनी के मजदूर समूचे देश में, प्रबंधकों की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ तथा अपनी 6 सूत्री मांगों के समर्थन में 5 फरवरी को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे. आई. टी. सी. वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष सांसद सोमनाथ चटर्जी ने कलकत्ता में 16 जनवरी को एक प्रेस कानफ्रेंस में यह घोषणा की. पश्चिम बंगाल सीटू के महासचिव मनोरंजन राय भी वहां उपस्थित थे. ☐

अखिल भारतीय कोयला मजदूर सम्मेलन

अखिल भारतीय कोयला मजदूर सम्मेलन 4 और 5 अप्रैल को रानीगंज में होगा. सीटू से संबंधित यूनियनें और साथ ही सीटू के साथ सहयोग देने वाली यूनियनें इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगी. कुल मिलाकर लगभग 250 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे.

कोयला यूनियनों की आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक 15 जनवरी को कलकत्ता में हुई जिसमें सम्मेलन की कार्यवाहियों को विस्तार पूर्वक तैयार किया गया. सम्मेलन की रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सब-कमेटी गठित की गई.

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और सीटू उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री 5 अप्रैल को खुले अधिवेशन को संबोधित करेंगे.

प्रत्येक प्रतिनिधि को 5 रुपये डेलिगेट फीस के रूप में देने होंगे. सम्मेलन की तैयारी के लिए एक स्वागत समिति बनाई गई है. स्वागत समिति का पता है: अध्यक्ष, स्वागत समिति, अखिल भारतीय कोयला मजदूर सम्मेलन, द्वारा सी एम एस आई, शिशुबागान, रानीगंज, पश्चिम बंगाल. ☐

सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी...

[पृष्ठ नौ से आगे]

दिया जिसमें सार्वजनिक संस्थान कर्मचारियों द्वारा छेड़े गए इस निर्भीक संघर्ष के लिए उन्हें बधाई दी. इसमें सभी ट्रेड यूनियनों से भी कहा गया कि वे 28 जनवरी को प्रधान मंत्री के नाम दमन का विरोध करते हुए तार भेजें. आह्वान के अनुसार अनेको तार प्रधानमंत्री को भेजे गए. संयुक्त बयान में यह आह्वान भी किया गया था कि 30 जनवरी को 'एकता दिवस' के रूप में मनाया जाए व इस दिन प्रदर्शन, जुलूस व घरने के कार्यक्रम लागू किए जाएं. यह रिपोर्ट प्रेस को भेजते हुए हमें विभिन्न केंद्रों से 'एकता दिवस' मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं. दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर एक धरना आयोजित किया गया व उन्हें स्मरणपत्र दिया गया.

सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों के कर्मचारियों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वे सरकार द्वारा छेड़े गए दमनचक्र का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं. बताया जा रहा है कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन 30 जनवरी को देशव्यापी स्तर पर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने पर विचार कर रहे हैं.

रेल समाचार...

पृष्ठ तेरह से

की समर सेन गुप्ता ने अध्यक्षता की और रमेंद्र डे एम. एल. ए. व अन्यों ने इसे संबोधित किया. एन. के. गोस्वामी और एन. के. भट्टाचार्य इस ब्रांच के अध्यक्ष और महासचिव के रुप में फिर से चुने गये.

मिनिस्टेरियल स्टाफ एसोसिएशन के पूर्वी व दक्षिण पूर्वी रेलवे यूनिटों ने कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन हाल में 13 जनवरी को संयुक्त जनवादी सम्मेलन आयोजित किया जिसका उद्घाटन केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के नेता दिपेन घोष ने किया. पश्चिम बंगाल सरकार के श्रममंत्री कृष्णपद घोष, इंश्योरेंस एंप्लाईज एसोसिएशन के महासचिव सरोज चौधरी और अन्यों ने सम्मेलन को संबोधित किया. इसमें भारतीय रेलवे द्वारा यंत्रीकरण और कंप्यूटर अपनाने से रोजगार में कमी आने पर प्रकाश डाला गया. ☐

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति — मनोरंजन राय

नीरेन घोष — सुधीन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)

विशेष सूचना

इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित सीटू की जनरल काउंसिल के सदस्यों के निर्णयों को ध्यान में रखकर सभी राज्य कमेटी के प्रतिनिधियों (प्रत्येक राज्य से केवल पांच प्रतिनिधि) की एक बैठक 3 और 4 मार्च को हावड़ा में आयोजित की जाएगी.

सीटू केंद्र ने विस्तार से जानकारी के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है. ☐

संक्षिप्त समाचार

जे. के. मजदूरों द्वारा प्रदर्शन : कानपुर की जे. के. जूट मिल के मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में 31 दिसंबर को मिल के गेट पर एक प्रदर्शन आयोजित किया. उनकी मांगों में, एमर्जेंसी के दौरान निकाले गए मजदूरों को पुनः काम पर वापस लेने, नौकरी को स्थाई करने, महंगाई भत्ते में वृद्धि, मकान-किराया भत्ता, गुप्त मतदान के आधार पर यूनियन को मान्यता प्रदान करने आदि की मांगें शामिल हैं. प्रदर्शन का नेतृत्व सीटू यूनियन ने किया था. दौलतराम व अन्यों ने मीटिंग को संबोधित किया. मीटिंग में, कांग्रेस (आई) से संबंधित समाज विरोधी तत्वों द्वारा 19 दिसंबर को सीटू कर्मियों पर कातिलाना हमलों की कड़ी आलोचना की गई.

इसी दौरान, कानपुर की सिटेक्स ट्यूब वर्क्स कर्मचारी यूनियन ने, पुलिस व प्रशासन को, सीटू कर्मचारियों पर आक्रमण करने के लिए कांग्रेस (आई) के गुंडों के साथ मिलीभगत की भी कड़ी आलोचना की. यूनियन ने कहा है कि यदि इस प्रकार के आक्रमण जारी रहे तो उसे मजबूर होकर संघर्षरत जे. के. जूट मजदूरों के समर्थन में हड़ताल करनी पड़ेगी.

चीनी मजदूरों की हड़ताल समाप्त : उत्तर प्रदेश में स्थित धामपुर की चीनी मिल में 24 दिसंबर से होनेवाली अनिश्चितकालीन हड़ताल और 14 दिसंबर से लगातार चली आ रही क्रमिक भूख हड़ताल, 25 दिसंबर को हुए एक समझौते के बाद वापस ले ली गई. मिल में अन्य तीन यूनियने, प्रबंधकों की नीतियों पर हां में हां मिलाने वाली हैं.

मजदूरों पर लाठी-चार्ज और गिरफ्तारी : यू. पी. राज्य सीटू के महासचिव ने 20 दिसंबर को लखनऊ में स्थानीय पुलिस द्वारा शांतिपूर्वक संघर्षरत शेखुपुर बदायूं चीनी मिल के मजदूरों पर लाठी-चार्ज करने की कड़ी आलोचना की. पुलिस ने 200 से भी ज्यादा मजदूरों को गिरफ्तार किया और उन्हें पुलिस स्टेशन में पीटा गया. मजदूरों की तुरंत रिहाई और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करते हुए दौलतराम ने कहा कि मजदूरों पर बढ़ते हुए आक्रमणों से, राज्य की मजदूर-विरोधी नीति साफ जाहिर होती है.

बिस्कुट और होजियरी मजदूरों द्वारा धरना : सीटू से संबंधित बिस्कुट कर्मचारी यूनियन और होजियरी टैक्सटाइल मजदूर यूनियन ने अपनी मांगों के समर्थन में 13 दिसंबर को लखनऊ में राज्य के श्रममंत्री के घर के बाहर एक धरना आयोजित किया.

हार्ड कोक मजदूरों द्वारा मशाल जुलूस : हजारीबाग जिले में कांटीनेंटल हार्ड कोक के मजदूरों ने 30 दिसंबर को 105 मजदूरों को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ एक मशाल जुलूस निकाला. मजदूरों ने प्रबंधकों व मालिकान के पुतले भी जलाए.

मेटल मजदूरों की कानफ्रेंस : ए. बी. के. मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन और यूनाइटेड कंट्रेक्टर्स वर्कर्स यूनियन की 12वीं वार्षिक कानफ्रेंस 27-28 दिसंबर को बर्नपुर में सपन्न हुई. सी. एस. मुखर्जी ने इसकी अध्यक्षता की. 200 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया. कानफ्रेंस में 113 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति सी. एस. मुखर्जी अध्यक्ष और बी. पी. मुखर्जी महासचिव सहित चुनी गई.

टैक्सटाइल मजदूरों की वेतन-वृद्धि : 6 जनवरी को हुए एक समझौते के अनुसार पंजाब के टैक्सटाइल मजदूरों की अपने पीस-रेट वेतन में वृद्धि कराके, जीत हासिल हुई. सीटू के नेतृत्व में मजदूरों ने पहले समझौता करने के लिए चुनौती दी थी जिससे पंजाब टैक्सटाइल मैनुफेक्चरिंग एसोसिएशन और पंजाब सीटू के महासचिव मंगतराम व अन्य सीटू यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ. यह 15 प्रतिशत वेतन-वृद्धि, सिल्क, स्टेपल, शर्टिंग, वूल विस्कोस से संबंधित मजदूरों के अलावा सभी मजदूरों को प्राप्त होगी. एटक यूनियन यह प्रचार करती रही कि मंदी के कारण मजदूर अपनी वेतन-वृद्धि की मांग नहीं हासिल कर सकेंगे.

कोयला श्रमिक संघ की कार्यकारिणी की बैठक : कोयला श्रमिक संघ (सीटू) की कार्यकारिणी समिति की बैठक 5-6 जनवरी को बिसरामपुर में हुई. उपाध्यक्ष गरीबनारायण शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की. बैठक में मजदूरों की समस्याओं पर विचार किया गया. इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कड़ी आलोचना की गई. बैठक में, अखिल भारतीय कोयला मजदूरों का रानीगंज में होने वाले कनवेंशन में भाग लेने का निर्णय लिया गया.

पांच महीने से मजदूरों को वेतन नहीं : दिल्ली में नांगलोई की हिंदुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिकान ने पिछले पांच महीनों से भी ज्यादा समय से अपने मजदूरों को वेतन नहीं दिया जिससे इसके 1000 मजदूर व उनके परिवार के 4000 सदस्यों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है. जनरल मजदूर लाल झंडा यूनियन (सीटू) ने वेतन का भुगतान व मजदूरों की अन्य मांगों के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया लेकिन मालिकान खामोश हैं. दिल्ली के उपराज्यपाल भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं जबकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है जहां रेलवे वैगन बनाई जाती है और देश में वैगन की बहुत आवश्यकता भी है. इस संबंध में यूनियन ने प्रधानमंत्री को एक मांग-पत्र भी भेजा है.

पुलिस दमन के खिलाफ जनरल मजदूरों का प्रदर्शन : दिल्ली में कमला नगर ब्रांच की जनरल मजदूर लाल झंडा यूनियन ने वजीरपुर क्षेत्र के मजदूरों पर 24 दिसंबर को हुए पुलिस दमन के खिलाफ उत्तरी दिल्ली पुलिस के उपायुक्त के घर के बाहर एक प्रदर्शन आयोजित किया. इससे पहले 12 दिसंबर को मालिकान ने मैसर्ज दौलतराम ओम प्रकाश के यहां से सी. आर. पी. की बंदूकों के बल पर मशीने दूसरी जगह ले गए क्योंकि यहां पर 24 नवंबर

[शेष पृष्ठ उन्नीस पर]

गुप्तचर ब्यूरो के बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की सीटू की मांग

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 1 जनवरी को निम्नलिखित बयान जारी किया :

सीटू, राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों के तहत इंटलीजेंस ब्यूरो एंप्लाईज एसोसिएशन के तीन मुख्य पदाधिकारियों की मनमाने तरीके से बर्खास्तगी का तीव्र विरोध करती है. इन यूनियन पदाधिकारियों का "अपराध" इतना था कि इन्होंने गुप्तचर ब्यूरो के कर्मचारियों की मांगों का एक मांगपत्र पेश किया था.

पहले रिसर्च एंड एनालिसिस शाखा के नेताओं और अब गुप्तचर ब्यूरो के ट्रेड यूनियन अधिकारों पर इस हमले से साफ जाहिर है कि सरकार उन कर्मचारियों का भी कोई संगठन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है जिनका इस्तेमाल देश की ट्रेड यूनियन और दूसरी जनतांत्रिक गतिविधियों पर खुफियागीरी करने के लिए किया जाता है.

सीटू मांग करती है कि इन कर्मचारियों के खिलाफ बर्खास्तगी की और दूसरी बदला लेने की कार्रवाइयां फौरन रद्द की जायं और बातचीत के जरिये उनकी जायज मांगों का निपटारा किया जाय. सीटू इन कर्मचारियों की मांग का समर्थन करती है कि उनकी सेवाएं पुलिस कानून के तहत न रखी जाएं.

सीटू सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से अपील करती है कि वे इन कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करें और सरकार की इन बदला लेनेवाली कार्यवाहीयों के खिलाफ आवाज बुलंद करें.

नेत्रहीनों पर बर्बर पुलिस दमन की सीटू द्वारा कड़ी निंदा

सीटू अध्यक्ष बी टी रणदिवे ने 2 जनवरी को निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया :

कल प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर भूतपूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री द्वारा नेशनल फडरेशन आफ ब्लाइंड्स को गत वर्ष दिए गए आश्वासनों पर अमल न करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे नेत्रहीनों पर पुलिस के बर्बर प्रहार की खबर से सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस को गहरा आघात लगा है.

दिल्ली पुलिस ने हमेशा की तरह जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए इस बार फिर पुलिस और नेत्रहीनों के बीच झगड़े की तथाकथित कहानी गढ़ ली है. गतवर्ष पुलिस द्वारा नेत्रहीनों पर किए गए बर्बर हमलों की संसद में और संसद से बाहर सार्वजनिक निंदा के बावजूद पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सार्वजनिक निंदा की रत्ती-भर भी परवाह नहीं करती.

इत्तफाक से सशस्त्र पुलिस द्वारा विकलांग नेत्रहीनों पर किया गया यह हमला संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित "विकलांगों का वर्ष" के दौरान श्रीमती गांधी की सरकार द्वारा देश के विकलांगों को दिया गया नये साल का तोहफा बन गया है.

सीटू मांग करती है कि निःसहाय नेत्रहीनों पर बर्बर हमले के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को फौरन मुअत्तिल किया जाए तथा पुलिस के इस असभ्य आचरण की अदालती जांच करायी जाए. सीटू सरकार से भी अपील करती है कि नेशनल फेडरेशन आफ ब्लाइंड्स को दिये गये आश्वासनों पर तुरंत अमल किया जाए ताकि उनकी जायज मांगें अविलंब पूरी की जा सकें.

बी एंड सी मिल मद्रास का अधिग्रहण करो-सीटू की मांग

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 2 जनवरी को निम्नलिखित बयान जारी किया है ;

सीटू देश की सबसे पुरानी कपड़ा मिलों में से एक मद्रास स्थित बी. एंड. सी मिल को बंद किए जाने का पुरजोर विरोध करती है. इस मिल के बंद हो जाने से हजारों मजदूर सड़कों पर आ जायेंगे. ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट चाहता है कि मजदूर एक नियत तारीख से छंटनी, आधुनिकीकरण, वर्क लोड में वृद्धि तथा घटा हुआ वेतन स्वीकार कर लें. हालांकि संगठित श्रमिक इन कदमों में से कुछ को चरणों में लागू करने की बात पर विचार-विमर्श के लिए तैयार थे, लेकिन प्रबंधकों ने बातचीत करने से साफ इंकार कर दिया.

सीटू का यह दृढ़ विचार है कि अब यह समस्या समूचे देश के स्तर पर फैल चुकी है क्योंकि प्रबंधक हर संकट का बोझ मजदूरों पर ही लाद देते हैं. बेतहाशा मुनाफा कमा चुकने के बावजूद प्रबंधक मनमाने ढंग से मिलों और फैक्ट्रियों को बंद करने की घोषणा करके मजदूरों तथा सरकार को धमकाते हैं.

सीटू तमाम ट्रेड यूनियन केंद्रों से अपील करती है कि बी एंड सी के मजदूरों के संघर्ष का समर्थन करें तथा एक राष्ट्रीय समस्या के समाधान के लिए संयुक्त रूप से कोशिश करें ☐

संक्षिप्त समाचार

[पृष्ठ अठारह से आगे]

से मजदूर हड़ताल पर थे. दिल्ली सीटू महासचिव सांसद सुशील भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उपा-युक्त को एक मांगपत्र पेश किया. जुलूस को दिल्ली सीटू सचिव जोगेंद्र शर्मा, उमेश मिश्रा तथा अन्यों ने संबोधित किया.

सीवान के बीड़ी मजदूरों की शानदार सफलता : सीवान के बीड़ी मजदूर यूनियन और बीड़ी मालिकों के बीच लंबे समय से चलते संघर्ष के फलस्वरूप 4 दिसंबर को बीड़ी मजदूर यूनियन के मंत्री और बीड़ी मालिकान के बीच एक बैठक में सर्वसम्मति से बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए बीड़ी की मजदूरी प्रति हजार 7.80 रुपये से बढ़ा कर 9.40 रुपये और महिलाओं की मजदूरी 3 रुपये प्रति हजार से बढ़ा कर चार रुपये घोषित की गई. मजदूरी की यह नयी दर 8 दिसंबर से पूरे सिवान जिला में लागू की गयी है. ☐

एक अविस्मरणीय वर्ष

★ 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले 1 लाख 25 हजार खेतमजदूरों को पेंशन दी गयी.

★ 1 लाख 84 हजार बेरोजगार युवकों को राहत दी गयी.

★ 55 लाख स्कूली छात्रों को लाभ पहुंचाने वाली चिकित्सा कार्ड योजना शुरू की गयी.

★ ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए 10 करोड़ रु. की लागत से सात सूत्री कार्यक्रम शुरु किया गया.

★ हरिजनों की आर्थिक दशा सुधारने, उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने, के लिए 300 करोड़ रु. की योजना तैयार की गयी.

★ मछली का व्यवसाय करने वाले 400 गांवों में मछेरों के कल्याण के लिए गतिविधियां शुरु की गयीं.
मछेरों के लिए दस हजार मकानों का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है.
अन्य 15000 मकानों का निर्माण शुरु कर दिया गया है.
मछेरों के लिए बीमा योजना लागू कर दी गयी है.

★ 1 लाख 35 हजार छोटे किसानों के लिए ब्याज में राहत योजना शुरु कर दी गयी है.

★ बजट में घोषित राहत और सुधार के उपायों वाले 35-सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया.

केरल की वामपंथी-जनवादी मोर्चा सरकार
ने
प्रगति का एक वैकल्पिक पथ प्रशस्त किया है

जनसंपर्क कार्यालय, केरल सरकार

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी-52, 53 डीडीए शेड्स, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित